पंचम माला, खंड 65, अंक 10, गुरुवार, 4 नवम्बर, 1976/13 कार्तिक, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXV. No. 10. Thursday, November 4, 1976/Kartika 13, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

PARLIAMENT LIBRA
Acc. No. 2761
Dat 21.XII

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[अठारहवां सत्र
Eighteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 65 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LXV Contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

2173 LS—1

विषय सूची/Contents

अंक 10, गुरुवार 4 नवम्बर, 1976 — 13 कार्तिक, 1898 (शक)

No. 10 Thursday, November, 4, 1976/Kartika 13, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGE
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1—
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	Committee on Absence of Members from the sittings of the House —	
(एक) कार्यवाही सारांश	(i) Minutes	4
(दो) 31वां प्रतिवेदन	(ii) Thirty first Report	4
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
239वां प्रतिवेदन	Two hundred and Thirty ninth Report	4
याचिका समिति—	Committee on Petitions—	
34वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	Thirty fourth Report & Minutes	4
भोजपुर बिहार के जिले में अनुसूचित जातियों तथा अन्य लोगों पर कथित अत्याचारों के बारे में याचिका	Petition re. alleged atrocities on Scheduled Castes and others of Bhojpur, Bihar	5
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (गुजरात) 1976-77—	Supplementary Demands for Grants (Gujarat) 1976-77—	
चर्चा—	Discussion —	
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	5—6
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	6—8
श्री डी० पी० जदेजा	Shri D.P. Jadeja	8—10
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	10—11
गुजरात विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976—पुर: स्थापित	Gujarat Appropriation (No. 2) Bill, 1976 — Introduced	12
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	13

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
खंड 2,3 तथा 1	Clauses 2, 3 and 1	13
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass—	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . . .	13
पाण्डिचेरी विनियोग (संख्य विधेयक, 1976—पुर: स्थापित—	Pondicherry Appropriation (No. 4) Bill, 1976— Introduced	13
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider —	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . . .	14
श्री अरविन्द बाला पजनौर	Shri Aravinda Bala Pajanor . . .	14-15
खंड 2, 3 तथा 1	Clauses 2, 3 and 1	15-16
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass—	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . . .	16
विद्युत (प्रदाय) संशोधन विधेयक	Electricity (Supply) Amendment Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K. C. Pant	16-17, 27-30
डा० सरदीश राय	Dr. Saradish Roy	17-18
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao	18-20
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	20-21
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी	Shri Narasimha Reddy . . .	21-22
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh . . .	22
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	22-23
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	23
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi . .	23
श्री वाई एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan	23-24
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra . . .	24
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	24-25
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	25
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	25
श्री वयालार रवी	Shri Vayalar Ravi	25
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh . .	26
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar . . .	26
श्री विभूति मिश्र	Shri Bihbuti Mishra	26

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/pages
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	26-27
श्री राम हैडाउ	Shri Ram Hedaoo	27
खंड 2 से 34 तथा 1	Clauses 2 to 34 and 1 . . .	30-38
पारित करने का प्रस्ताव––	Motion to pass —	
श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K. C. Pant	38
लोक सभा (कालावधि विस्तारण) संशोधन विधेयक—	House of the People (Extension of Duration) Amendment Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gohkale	38-40
श्री समर मुखर्जी	Shri Sumar Mukherjee . . .	40-42
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	42-44

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अंकिनीडू श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फ़िरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश, चन्द्र सिंह (फ़रुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथू राम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडागा)
उरांव, श्री टूना (जलपाईगुडी)
उलगनवी, श्री आर० पी० (वैल्लर

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंगल भारतीय)
एगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रूगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायार, श्री मोहनराज (पोलाची)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पढ़रपुर)
काबले, श्री टी० डी० (लातुर)

काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)
काह्नडोल, श्री (मालिगांव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मोहम्मद शफ़ी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोत्राशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हस्कोट)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)
खां, आई० एच० (बारपेट)

ग

गंगादेव श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमति इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फ़तेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फ़िरोज़पुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरूण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरि)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ऐटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (बैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफ़र शरीफ़, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री बरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)
जुल्फ़िक़ार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ़, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदार, श्री दिनेश (मालदा)
जोशी श्री जगगन्ननाथ राव (शाजापुर)
जोशी श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी (पेछापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)

तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवरी श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसेन श्री (गड़गांव)

द

दंडपाणि श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनाधि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खण्डपा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीबीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भण्डारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राजसिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी, राव एस० (परभणी)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहाबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० बी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (कैसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाडमेर)
निबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढवाल)

प

पण्डा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पजनौर, श्री अरबिन्द बाल (पांडेचेरी)
पटनायक श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरबिन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढुंढुका)
पटेल, श्री नटवरलाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानू भाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)

पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री माणिकराव (औरंगाबाद)
पासवान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री रामसहाय (राजनन्द गांव)
पांडे, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई, हाओकित, श्री (बाह्यानीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जल-गांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थसारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूमी)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शाहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बड़े श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री बेदब्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसू, श्री ज्योतिर्मय (डायमण्ड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)
बादल श्री गुरदास सिंह (फाजिलका)
बाबूनाथ सिंह श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुझा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
वीरेन्द्र सिंह, राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटासिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह, कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्दजी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहाबाद)
भट्टाचार्या, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (धाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री बशेश्वर नाथ (अजमेर)

भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकरनूल)
भुवराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंड, श्री जगदीश नारायण (गोंडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
'मधुकर', श्री कमला मिश्र (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
माझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी श्री गाजाधर, (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री वी० (चिताम्बरम्)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र श्री विभूति (मोतिहारि)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुतुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसुफ श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह, (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ)

यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)

यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)

यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)

यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधधेपुरा)

यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)

रणबाहदुर, सिंह श्री (सिधी)

रवि, श्री वयालार (चिर्रयिकील)

राउत श्रीभोला (बगहा)

राज बहादुर, श्री (भरतपुर)

राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)

राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)

राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)

राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)

राधाकृष्णन, श्री एस (कुडलूर)

रामकंवार श्री (टोंक)

रामजी राम, श्री (अकबरपुर)

राम दयाल, श्री (बिनजौर)

रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)

राम धन, (लालगंज)

राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)

राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)

राम हैडाउ, श्री (रामटेक)

रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (श्री छप्परा)

राम सूरत प्रसाद श्री (बांसगांव)

रामसेवक, चौधरी (जालौन)

राम स्वरूप श्री (रार्बट गंज)

राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)

राय, श्री एस० के० (सिक्किम)

राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)

राय, डा० सरदीश (बोलपुर)

राय, श्रीमती माया (रायगंज)

राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)

राव, श्रीमती बी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)

राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)

राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)

राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)

राव, श्री के० नारायण (बोबिली)

राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)

राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)

राव, श्री पी० अंकिनीडे प्रसाद (ओंगोल)

राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)

राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)

राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)

रिछरिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)

रुद्र प्रताप सिंह श्री (बाराबंकी)

रेड्डी, श्री वाई ईश्वर (कड़प्पा)

रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)

रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री के० कोदन्डा रामी (कुरनूल)

रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलवाद)

रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चितुर)

रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)

रेड्डी, श्री पी० बी० (कावली)

रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)

रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)

रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिलौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तमकुर)

लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)

लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)

लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री पेरेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लुतफल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजय पाल सिंह, श्री (मुजफ्फ़रनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन्, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सेदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खा, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुन)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शेलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरूचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना, श्री (मिजोरम)

सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलूक)
साभिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतुल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरगंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावल, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सैकिया, श्री इराजमुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसात)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहन लाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुझा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)
स्वेल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तय्या, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नरूल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बी० आर० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री इसहाक सम्भली

श्री वसन्त साठे

श्री सी० एम० स्टीफन

श्री जी० विश्वनाथन्

श्री पी० पार्थसारथी

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मन्त्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्त राव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसीलाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढ़िल्लों
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री	श्री सैयद मीर कासिम

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नूरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शंकर घोष
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विट्ठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री	श्री देवब्रत बरुआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिन पाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री वी० शंकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदारनाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 4 नवम्बर, 1976/13 कार्तिक, 1898 (शक)

Thursday, November 4, 1976/Kartika 13, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
MR. SPEAKER *in the Chair*

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

Papers Laid on the Table

तमिलनाडु चिट फंड अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा उन्हें सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं श्री प्रणबकुमार मुखर्जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) तमिलनाडु राज्य क सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु चिट फंड अधिनियम, 1961 की धारा 63 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी ओ एम 564 जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1974 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी ओ एम 490 जो दिनांक 14 मई, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी ओ एम 734 जो दिनांक 13 जून, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु चिट फंड नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गए हैं।

(चार) जी ओ एम 1168 जो दिनांक 8 सितम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु चिट फंड नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(2) उपर्युक्त (एक) से (तीन) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 11498/76]

तमिलनाडु भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा इन्हें सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण और हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर रखने जाने के कारण बताने वाला विवरण

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु भवन (पट्टा और किराया नियन्त्रण) अधिनियम, 1960 की धारा 34 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी ओ एम 729 जो दिनांक 30 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु भवन (पट्टा और किराया नियन्त्रण) नियम, 1974 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) जी ओ आर संख्या 1700 जो दिनांक 28 अप्रैल, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस के द्वारा तमिलनाडु भवन (पट्टा और किराया नियन्त्रण) नियम, 1974 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(2) (एक) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब; और

(दो) उनके हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 11499/76]

हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड बम्बई के वर्ष 1975 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान पट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड बम्बई के वर्ष 1975 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड बम्बई का वर्ष 1975 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त दस्तावेजों का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 11500/76]

यूनाइटेड इंडिया फायर एण्ड जनरल इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1974 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला गोपालन) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत यूनाइटेड इण्डिया फ़ायर एण्ड जनरल इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1974 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां, सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 11501/76]

राष्ट्रीय राजपथ (संशोधन) नियम, 1976

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजपथ (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 18 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 680(ङ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 11502/76]

रबड़ (संशोधन) नियम 1976, रबड़ बोर्ड, काफी बोर्ड तथा इलायची बोर्ड के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रबड़ (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 23 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1497 में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 11503/76]

(2) रबड़ बोर्ड के वर्ष 1974–75 के कार्यकलापों सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 11504/76]

(3) काफी बोर्ड के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 11505/76]

(4) इलायची बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 11506/76]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

Committee on Absence of Members from the sitting of the House

(एक) कार्यवाही सारांश

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरु) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की 3 नवम्बर, 1976 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

(दो) 31वाँ प्रतिवेदन

श्री के० सूर्यनारायण : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का 31वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

Public Accounts Committee

239 वाँ प्रतिवेदन

श्री एन० के० सांघी (जालौर) : मैं पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र शासन से सम्बन्धित वर्ष 1971–72 और 1972–73 के विनियोग लेखों में दिखाए गए स्वीकृत मांगों तथा प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय पर लोक लेखा समिति का 239वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

याचिका समिति

Committee on Petitions

प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी): मैं याचिका समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) 34वां प्रतिवेदन; और
(दो) 83वीं से 89वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

बिहार में भोजपुर जिले के अनुसूचित जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर कथित अत्याचारों के बारे में याचिका

PETITION RE. ALLEGED ATROCITIES ON SCHEDULED CASTES AND OTHERS BACKWARD SECTIONS OF BHOJPUR IN BIHAR PRESENTATION OF PETITION

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I Present a petition signed by Shri Suraj Parsad and others regarding alleged atrocities on Scheduled Castes and other weaker sections of District Bhojpur in Bihar.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पिछले कल श्री हाल्दर अंग्रेजी अनुवाद सहित बंगला में बोल रहे थे। उन्होंने गुजरात में अंग्रेजी पढ़ाने के बारे में चर्चा की थी। वे कुछ गलत तथ्य रख रहे थे। मैंने खड़े होकर कहा कि यह तथ्य नहीं है। लेकिन वाद-विवाद में जो कुछ मैंने कहा उसे नहीं लिया गया और केवल "व्यवधान" ही लिखा। अतः वाद-विवाद गुमराह करने वाला है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी जांच की जायेगी और इसे ठीक किया जायेगा।

अनुदानों की अनुपूरक माँगें (गुजरात) 1976-77--जारी

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GUJARAT), 1976-77—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम गुजरात की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर आगे चर्चा करते हैं। श्री डी० डी० देसाई अपना भाषण जारी रखें।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : देश के कुछ भागों में मूंगफली के ऊंचे मूल्य तथा रुई की अनुपलब्धता के बारे में सदस्य असंतुष्ट हैं। गुजरात राज्य की विशेष रूप से आलोचना की जा रही है। गुजरात मूंगफली तथा रुई का प्रचुर मात्रा में उत्पादन करना चाहता है किन्तु इनकी फसल बोने से पूर्व इस सम्बन्ध में समर्थन मूल्य की नीति घोषित कर दी जानी चाहिए। जब तक फसल बोने से पहले समर्थन मूल्यों की घोषणा नहीं की जायेगी तब तक किसानों को पता नहीं चलेगा कि वास्तव में सरकार चाहती क्या है। लाभप्रद मूल्य न दिए जाने के कारण तथा वस्तुओं को न उठाने और स्टाक के लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों को न हटाने के कारण इसके उत्पादन में कमी हो जाती है और किसान इसकी खेती कम एकड़ में करते हैं। सरकार को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए।

नर्मदा जल विवाद का मामला अब न्यायाधिकरण के समक्ष है। सरकार को न्यायाधिकरण से इस मामले को ले लेना चाहिए क्योंकि पानी बेकार जा रहा है। आखिर चाहे वह मध्य प्रदेश हो या गुजरात, हानि तो समूचे देश को हो रही है। हमारा यह दृष्टिकोण है कि जो कोई भी इसका सर्वोत्तम उपयोग कर सके, वह कर सकता है क्योंकि देश की सबसे बड़ी समस्या खाद्यान्नों की है। अतः सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह नर्मदा जल विवाद हमेशा के लिए हल कर

[श्री डी० डी० देसाई]

दिया जाये। गुजरात में बिजली दरें सबसे अधिक हैं। इन दरों को अन्य क्षेत्रों में विद्यमान दरों के बराबर किया जाना चाहिए।

20-सूत्री तथा 5-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम दोनों ही कार्यक्रम बहुत बढ़िया हैं। नौकरशाही स्तर पर इस सम्बन्ध में बात की जा रही है किन्तु इसमें जनसहयोग नहीं लिया जा रहा है। इन दोनों कार्यक्रमों में जनसहयोग लेना आवश्यक है ताकि इन्हें शीघ्रता से कार्यान्वित किया जा सके।

गुजरात राज्य में बहुत कम प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण हुआ है। जबकि पंजाब तथा हरियाणा ने 100 प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण कर लिया है। तमिलनाडु में 90 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र का विद्युतीकरण हो गया है।

इससे पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत बड़ा भाग बिजली से वंचित है। इसी कारण न तो उत्पादन बढ़ सकता है, न रोजगार के साधनों में वृद्धि हो सकती है और न ही जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है।

हमारे राज्य का समुद्रतट बहुत विस्तृत है। हमारे रूस आदि अनेक पड़ौसी देशों से मैत्री सम्बन्ध हैं। हमें उनसे नये डिजाइन की नौकाएं तथा मत्स्य नौकाएं उपलब्ध करनी चाहिएं। इसके लिए समुचित धन आवंटित किया जाना चाहिए।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान हमने मध्याह्न भोजन अवकाश समाप्त कर दिया है। अब जबकि इस पर चर्चा समाप्त हो गई है आज और कल मध्याह्न भोजन के लिये सभा स्थगित की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा इससे सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): गुजरात में राष्ट्रपति शासन की अवधि और 6 महीनों के लिए बढ़ाये जाने के कारण ये अनुपूरक मांगें आवश्यक हो गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे राज्य में राष्ट्रपति शासन कब तक चलता रहेगा क्योंकि यह अनिश्चितता अनुचित है। कोई भी यह बात समझ सकता है। यदि राज्य विधान सभा में बहुमत नहीं हो या वहां संवैधानिक संकट हो। किन्तु 182 सदस्यों में से कांग्रेस दल को 106 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। वे दल-बदल तथा अन्य तरीकों से अपना बहुमत बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि गुजरात के लोगों पर यह अनिश्चितता क्यों थोपी जा रही है। यह अनिश्चितता यथा सम्भव शीघ्र दूर की जानी चाहिए।

यह वास्तव में बड़ी अजीब राजनीतिक स्थिति है कि यद्यपि कांग्रेस को 182 सदस्यों में से 106 का समर्थन प्राप्त है तथा अन्य 14–15 सदस्यों ने भी समर्थन देने का वचन दिया है फिर भी कांग्रेस आपसी फूट के कारण वहां सरकार बनाने का निर्णय नहीं ले पा रही है। देश के लोग उनकी आपसी फूट के शिकार क्यों बनें। इसके लिये गुजरात की जनता क्यों हानि उठाये?

गुजरात में अभी भी बहुत सी जरूरी मैटर अवलम्बनीय समस्याएं विद्यमान हैं क्योंकि राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के बीच राजनीतिक सम्पर्क टूट गया है और लगातार टूटता चला जा रहा है। नर्मदा जल विवाद उनमें से एक है। इस पर प्रधान मन्त्री का निर्णय लागू नहीं हो सका और न्याय

धिकरण का पंचाट भी नहीं आ रहा है। विवाद का राष्ट्रहित में शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए। यदि गुजरात में लोकप्रिय सरकार होती तो यह समस्या हल हो जाती।

राष्ट्रपति शासन के गत 8 महीनों में गुजरात विधान सम्बन्धी संसदीय सलाहकार समिति की केवल दो बैठकें हुई और उन बैठकों का समय इतना थोड़ा था कि हम ऐसे बहुत से मामले नहीं उठा सके जो हम उठाना चाहते थे। अतः जिस ढंग से इस संसदीय समिति के साथ सरकार ने व्यवहार किया है वह न तो सरकार के लिये और न ही समिति के उचित कार्यकरण के लिये ठीक है।

गुजरात राज्य में समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग बड़ी ही कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं। मैं स्वयं कुछ जिलों में घूमा हूं और मैंने पाया है कि वहां भूमिहीन कृषि श्रमिकों को नियमों के अनुसार 5.50 रु० दैनिक न्यूनतम मजूरी नहीं मिल रही है। गुजरात सरकार ने कानून और नियम तो बना दिये हैं परन्तु वे क्रियान्वित नहीं हो रहे हैं। इसलिये लाखों लोगों को निर्धारित न्यूनतम मजूरी नहीं मिल रही है। उनकी तुरन्त सहायता की जानी चाहिये।

हरिजन और आदिवासी लोगों को उनका हक़ नहीं मिल रहा है। अनुदानों की अनुपूरक मांगों में आदिवासी कल्याण निगम के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है परन्तु हमारे लोकतान्त्रिक और अब इस नये समाजवादी गणतन्त्र भारत में नौकरशाही बढ़ा देने से आदिवासियों का कल्याण नहीं होगा।

सूरत, बड़ौदा, भावनगर तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों में और विशेषकर मेरे चुनाव क्षेत्र अहमदाबाद कपड़ा मज़दूरों के सामने जबरन छुट्टियों की समस्या है। इधर संसद् ने उनका बोनस भी बन्द कर दिया है। हथकरघा कर्मचारियों के सामने भी यही समस्या है।

अहमदाबाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निवास-स्थान रहा है और वहीं पर इस समय गन्दी बस्तियों में रहने वालों की दयनीय दशा देखकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। हम उनकी दशा सुधारने के लिये कोई सुधार योजनायें क्यों नहीं आरम्भ करते? वहां हर चार व्यक्तियों में एक व्यक्ति गन्दी बस्ती में रहता है और एक प्रकार से नारकीय जीवन व्यतीत करता है। मेरा अनुरोध है कि गुजरात राज्य में भले ही राष्ट्रपति शासन अथवा लोकप्रिय सरकार का शासन हो अथवा केन्द्र सरकार का शासन हो, सामान्य व्यक्ति को न्याय मिलना ही चाहिये। अनुपूरक मांगों के अन्तर्गत अहमदाबाद नगर निगम को 60 लाख रुपये का अनुदान देने का मैं स्वागत करता हूं क्योंकि यह राशि नगरीय विकास कार्यक्रम के लिये है। परन्तु साथ ही मैं यह भी चाहूंगा कि मन्त्री महोदय द्वारा गन्दी बस्तियों की सफाई और वहां की दशा में सुधार के लिये अधिक राशि दी जाये ताकि वहां के निवासियों को रहने के लिये अच्छे आवास मिल सकें।

आपात स्थिति के बाद इसके फ़लस्वरूप प्राप्त हुए लाभ कितने ही क्यों न हों परन्तु महंगाई बढ़ रही है। यह दशा केवल गुजरात में ही नहीं बल्कि समूचे देश में है। खाद्य-तेलों और चीनी की कमी है। अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी कमी है हालांकि उसे दूर करने के लिये प्रयास हो रहे हैं।

गुजरात राज्य में छात्रों और अध्यापकों के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। पंचायतों को स्कूल-भवनों की मरम्मत के लिये अनुपूरक मांगों में प्रावधान किया गया है। यह अच्छी बात है। परन्तु

[श्री पी० जी० मावलंकर]

यह समस्या व्यापक है। गुजरात के एक महान् सन्त हरी के पूजा मोटा ने जिनका हाल ही में देहान्त हुआ है, मरने से पहले कहा था कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिये हर स्कूल में कम से कम एक बड़ा हाल होना चाहिये जहां बच्चे शिक्षा पा सकें। इस सन्त के स्मारक के लिये लोग अब तक 30–40 लाख रुपये दान कर चुके हैं अनुपूरक मांगों में प्राथमिक शिक्षा और स्कूल-भवनों के लिये केवल कुछ लाख रुपये की व्यवस्था करनी काफी नहीं है। इसके अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षा मन्त्रालय द्वारा सहायता के माध्यम से और आपके केन्द्रीय सहायता मिलनी चाहिये।

यह खुशी की बात है कि गुजरात के राज्यपाल ने वहां छठी कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाना आरम्भ करने का निर्णय किया है। मैं अंग्रेजी का समर्थक नहीं हूं परन्तु इसकी शिक्षा को जरूरी भी समझता हूं। अतः अंग्रेजी भाषा की अच्छी शिक्षा और स्कूल के भवनों के निर्माण के लिये अधिक धन राशि की व्यवस्था की जानी चाहिये।

देश में रुग्ण मिलों की भांति ही 'रुग्ण' कालेज भी हैं, विशेष कर गुजरात में, जहां उनकी व्यवस्था और प्रबन्ध के लिये समुचित धन की व्यवस्था नहीं है और वे बन्द होते जा रहे हैं। भारत सरकार और गुजरात सरकार इस समस्या पर गहराई से विचार करें। इन कालेजों के प्रोफ़ेसरों और अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतन-मान मिलने चाहिये। इसके अतिरिक्त उच्चतर शिक्षा के बारे में बीवी जोन समिति का प्रतिवेदन भी शीघ्र ही हमें उपलब्ध कराया जाना चाहिये। मैं इसके लिये अनेक बार अनुरोध कर चुका हूं।

निः शुल्क कानूनी सहायता के लिये भी अनुपूरक मांगों में व्यवस्था की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि आप किस प्रकार 2000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को निः शुल्क कानूनी सहायता देंगे। गुजरात में यह सहायता किस प्रकार दी जा रही है?

गुजरात हमारे देश के एक औद्योगिक राज्यों में से एक है। परन्तु वहां अब भी कई जगह असन्तुलन है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बेहतर औद्योगीकरण हो सकता है और प्रगति की गति बढ़ सकती है। उसके लिये सौराष्ट्र में परमाणु शक्ति केन्द्र की स्थापना होनी चाहिये जिसके लिये ऊर्जा मन्त्री कई बार आश्वासन दे चुके हैं परन्तु निर्णय अभी तक नहीं किया है।

बम्बई हाई से प्राप्त होने वाले तेल व गैस का गुजरात और शेष देश के औद्योगिक विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान होगा। मेरे विचार से, केन्द्रीय स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति नई दिल्ली में इस तेल और गैस के उपयोग के बारे में शीघ्र ही निर्णय लेगी। परन्तु अभी तक यह निर्णय नहीं हुआ कि गुजरात में कितनी मात्रा में तेल और गैस का उपयोग होगा।

ये कुछ समस्यायें थीं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। मेरा यह भी अनुरोध है कि गुजरात में यथासम्भव शीघ्र लोकप्रिय सरकार का गठन होना चाहिये भले ही वह किसी भी दल की हो। वहां के नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिये और अपनी समस्याओं के लिये उनकी पहुंच अपने विधायकों और मन्त्रियों तक होनी चाहिये।

श्री डी० पी० जदेजा (जामनगर) : मैं इन अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं और गुजरात के लिये जैसी मांगें उप वित्तमन्त्री ने पेश की हैं उनको देखते हुए मैं उन्हें यदि 'गुजरात मन्त्री' कहूं तो उचित ही होगा।

मैं वे बातें नहीं उठाऊंगा जो मेरे अन्य साथी कह चुके हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये राज्य सरकार के प्रयासों की मैं सराहना करता हूं जिसके लिये उसने पंचायतों को भी शामिल किया है, विशेषकर परिवार नियोजन कार्यक्रम के संदर्भ में।

मूंगफ़ली सम्बन्धी नीति के बारे में श्री डी० डी० देसाई ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। मैं तो बस इतना कहूंगा कि सरकार जो कुछ भी करे छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रख कर करे। ये लोग अधिक समय तक अपने उत्पाद को जमा न रख सकने के कारण थोक-विक्रेताओं को बहुत ही कम दरों पर बेचने को विवश हैं। साथ ही सौराष्ट्र में 20 प्रतिशत अधिक क्षेत्र में मूगफ़ली की काश्त होने के बावजूद भी वहां उत्पादन कम हुआ है जिससे छोटे किसानों को हानि पहुंची है। सरकार अभी से मूगफ़ली के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीति घोषित करे जिससे कि सौराष्ट्र के छोटे किसानों की सहायता हो सके। सरकार ने मूगफ़ली की गिरी के एक तालुक से तालुक में लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध तो लगाया है परन्तु साथ ही कुछ अधिकारियों को इसकी अनुमति देने के अधिकार भी दे दिये हैं। इससे उन अधिकारियों में भ्रष्टाचार फ़ैल सकता है। इस अधिकार का दुरुपयोग कर कुछ भ्रष्ट अधिकारी किसानों को हानि पहुंचा कर अपनी जेबें भर सकते हैं। सरकार इस नीति पर पुनः विचार करे और इस प्रतिबन्ध को समाप्त कर दे वरना जिन किसानों के लिये अपने तालुक की बजाये दूसरा तालुक समीप पड़ता है उन्हें अपना माल वहां ले जाने में बड़ी कठिनाई होगी।

गुजरात राज्य उर्वरक निगम का केवल आधा प्रबन्ध और स्वामित्व ही राज्य सरकार के पास है। इस निगम को इस वर्ष 9.53 करोड़ रुपये का रिकार्ड लाभ हुआ है परन्तु उसने अपने कर्मचारियों को पहले के समान 33.33 प्रतिशत बोनस देने की बजाये केवल 20 प्रतिशत बोनस देने का प्रस्ताव किया है। मैं किसी श्रमिक संघ नेता के रूप में अथवा किसी श्रमिक संघ की ओर से नहीं बोल रहा हूं, परन्तु मैं इतना जरूर कहूंगा कि श्रेणी-3 तथा श्रेणी-4 के कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। वे बेचारे कहां जायेंगे। उत्पादन बढाने और लाभ अर्जित करने में प्रबन्धकों के साथ कर्मचारियों का भी तो योगदान है। फ़िर इन लोगों को रसायनों के प्रभाव में रह कर काम करना पड़ता है जिससे उनकी औसत आयु 60 से 65 वर्ष से अधिक नहीं रह गई है। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस विषय पर गम्भीरता से विचार करे तथा प्रबन्ध बोर्ड में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व भी दे।

गुजरात में मत्स्य-उद्योग की अच्छी सम्भावना है। श्री डी० डी० देसाई का यह सुझाव स्वीकार्य है कि इस कार्य के लिये नये डिज़ाइन की नई नावें आनी चाहियें। परन्तु ये नावें तो कई वर्ष बाद आयेंगी और समुद्रीय जीवों का जीवन केवल एक या डेढ़ वर्ष होता है। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय सम्पदा की हानि हो रही है। राज्य सरकार को चाहिये कि वह गहरे समुद्र में जाने वाले जहाजों को मछली पकड़ने के काम पर लगायें और इस कार्य के लिये सहयोग करार भी किये जायें।

कच्छ विकास बोर्ड की घोषणा के लिये राज्य सरकार और केन्द्र सरकार बधाई की पात्र हैं। वस्तुतः यह निर्णय बहुत पहले ही हो जाना चाहिये था। कच्छ की भांति ही सौराष्ट्र में अन्य कई क्षेत्र भी हैं जहां सूखा पड़ सकता है, वे पिछड़े हुए भी हैं, वहां औद्योगीकरण भी नहीं हुआ है और उनके विकास की भविष्य में कोई सम्भावना भी नहीं दिख रही है। सरकार ऐसे क्षेत्रों के लिये कोई विकास बोर्ड बनाये जिसे पिछड़े क्षेत्र विकास बोर्ड अथवा सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास बोर्ड आदि चाहे जो नाम दे सकती है।

अंतिम बात मैं गुजरात में पर्यटन विकास के बारे में कहना चाहता हूं। एक पर्यटन विकास बोर्ड पहले ही बनाया जा चुका है। आशा है वे सारे कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर सकेंगे। लेकिन

[श्री डी० पी० जदेजा]

बोर्ड में केवल अधिकारियों को ही क्यों रखा गया है? क्या गैर-सरकारी व्यक्तियों को सदस्य नहीं बनाया जा सकता? मेरा अनुरोध है कि गुजरात में पर्यटन विकास को आगे बढ़ाने का कार्य गम्भीर रूप से किया जाये।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : सबसे पहले मैं उन सदस्यों को बधाई देना चाहती हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। अच्छा होता यदि गुजरात विधान सभा में ही यह चर्चा हुई होती लेकिन परिस्थितिवश वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। संस्कृति, परम्परा, स्वच्छता और मेहनत में गुजरात राज्य का अपना इतिहास है।

राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रशासन में ग्राम सुधार हुआ है और 20 सूत्रीय कार्यक्रम को शीघ्रता से लागू करने के लिए कई कड़े उपाय किये गये हैं। विभिन्न कार्यकलापों में ताल-मेल के लिए राज्यपाल ने एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया है। कहीं-कहीं कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं यदि उनके बारे में विशेष रूप से कुछ बताया जाये तो निःसन्देह हम उसके बारे में क़दम उठायेंगे।

यह बात तो स्पष्ट है कि बहुत से व्यापारी राष्ट्र विरोधी कार्यों में लगे हुए थे। सरकार ने उनकी अच्छी खबर ली है। इसका सामान्य प्रशासन पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। इन सब बातों से राज्य की स्थिति बेहतर हुई है। जब राज्य में भयंकर तूफान, भारी वर्षा तथा बाढ़ का प्रकोप हुआ तो सरकारी तंत्र ने तुरंत राहत कार्य आरम्भ कर दिये और ये प्रयत्न किये गये कि जान-माल का कम से कम नुकसान हो। इसी कारण राष्ट्रपति शासन की अवधि को भी बढ़ाया गया है।

इस बीच सलाहकार समिति की दो बार बैठक हो चुकी है। इस समिति में लोक सभा के 34 और राज्य सभा के 17 सदस्य हैं। विभिन्न कानून पास किये गये हैं।

मूल्यों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई है। सितम्बर, 1976 तक राष्ट्रपति शासन के दौरान 4511 छापे मारे गये। 336 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और 442 व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये गये। जमाखोरी और मुनाफाखोरी के विरुद्ध अभियान में 47 व्यक्तियों को आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। 32,853 जाली राशन कार्ड रद्द किये गये। खाने की विभिन्न चीजों के दाम नियत किये गये हैं। सितम्बर, 1976 के मध्य तक 69[illegible] उचित दर की दुकानें खोली गईं। जून से सितम्बर, 1976 तक आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 6.7 प्रतिशत से 47.8 प्रतिशत की कमी हुई है।

गुजरात में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत 34 अनुसूचित रोजगार हैं। उनमें से 24 रोजगारों के सम्बन्ध में मजदूरी पुनर्निर्धारित की गई है। 5 रोजगारों के बारे में कार्य हो रहा है।

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में भी गुजरात ने अच्छा कार्य किया है। गुजरात ने अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य को स्वयं बढ़ा दिया है।

अंग्रेजी के बारे में जो प्रश्न उठाया गया है तो वास्तविकता यह है कि गुजरात में अंग्रेजी का स्तर बहुत नीचा था। अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में गुजरात के विद्यार्थी पीछे न रहें इसलिए अंग्रेजी को छठी कक्षा से अनिवार्य विषय बना दिया गया है। सम्बन्धित सदस्यों ने इस कदम का स्वागत किया है।

अनुमान है कि 1976-77 की फसल में मूंगफली का उत्पादन 18 से 20 लाख टन तक होगा। नई फसल के बाजार में आने से सप्लाई की स्थिति सुधरी है। खुदरा मूल्य भी कम हुए हैं। राशन की दुकानों पर भी भार कम हुआ है जिससे लगता है कि वहां अस्थायी समस्या ही थी और उसे हल करने के लिए कड़े उपाय किये गये हैं।

वर्ष 1976-77 के लिए योजना परिव्यय में हाल ही में वृद्धि की गई है। योजना आयोग ने 21 करोड़ के अतिरिक्त परिव्यय के लिए मजूरी दी है। इससे 1976-77 के दौरान कुल योजना परिव्यय 214.25 करोड़ रुपये तक हो गया। इस योजना में चतुर्मुखी विकास पर बल दिया गया है।

जान समिति के प्रतिवेदन के बारे में कई सदस्यो ने पूछा है। उस पर अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है क्योकि समिति ने बहुत दूरगामी सिफारिशें की हैं और उनमें वित्तीय पहलू भी आ जाता है। समिति पर विचार हो रहा है।

राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य में 20 सूत्रीय कार्यक्रम को भली भांति लागू किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में वहां और भी प्रगति होगी।

श्री पी० जी० मावलंकर : वी० वी० जान समिति के प्रतिवेदन को शीघ्र प्रकाशित रूप में उपलब्ध क्यों नहीं कराया जाता।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सिफारिशों पर विचार के बाद प्रतिवेदन प्रकाशित कराने सम्बन्धी निर्णय लिया जायेगा।

श्री पी० जी० मावलंकर : पिछले महीने गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई सलाहकार समिति की बैठक में परामर्शदाता ने मेरे पूछने पर वचन दिया था कि समिति का प्रतिवेदन गुजरात की जनता को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्य शीघ्र किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : सम्बन्धित मंत्री जी को यह बात बता दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा गुजरात राज्य की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

The following supplementary demands in respect of the State of Gujarat were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
3	निर्वाचन	21,00,000	..
9	कर संग्रह प्रभार (वित्त विभाग) . .	18,91,000	..
12	वित्त विभाग से संबंधित अन्य व्यय .	6,15,000	..

1	2	3	
16	कानून विभाग का अन्य व्यय . .	1,04,000	..
26	कृषि	1,000	1,00,00,000
28	पशु पालन और डरी विकास . .	3,09,000	..
30	वन	..	26,09,000
35	शिक्षा	..	12,00,000
39	जन जाति क्षेत्र उप-आयोजना . .	1,000	..
49	उद्योग	..	6,39,48,000
55	चिकित्सा	2,000	..
57	लोक स्वास्थ्य . . .	6,00,000	..
58	शहरी विकास . . .	1,02,000	60,00,000
60	पंचायत और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2,00,00,000	..
63	गैर रिहायशी इमारतें . . .	5,06,000	..
65	सिंचाई और भूमि संरक्षण . .	..	10,51,000
73	जिला प्रशासन . . .	43,73,000	..
74	दैवी विपत्तियो के कारण सहायता . .	..	4,00,00,000
76	मुआवजा और समनुदिष्ट राशियां . .	..	19,03,000

गुजरात विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976

GUJARAT APPROPRIATION (No. 2) Bill, 1976

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (**श्रीमती सुशीला रोहतगी**) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियो के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हुं।

मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, 3, अनुसूची, खंण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2, 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

पांडिचेरी विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1976

PONDICHERRY APPROPRIATION (No. 4) BILL, 1976

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): मैं प्रस्ताव करती हूं कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) : मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आपात स्थिति के दौरान कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता। पांडिचेरी में तो राष्ट्रपति शासन का रिकार्ड स्थापित हो गया है। 3 वर्ष से वहां यह शासन चला आ रहा है।

जहां तक 20-सूत्री कार्यक्रम और 5-सूत्री कार्यक्रम का सम्बन्ध है, लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि इन कार्यक्रमों के परिणाम अवश्य अच्छे होंगे। इसके साथ-साथ वे इन कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें भी अवसर मिलना चाहिये।

यह दुर्भाग्य ही है कि पांडिचेरी में ईसाई महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है वे पुरुषों के साथ हिस्सा नहीं बटा सकतीं। मैंने इसके बारे में पहले भी उल्लेख किया था। परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया। अब इस ओर ध्यान दिया जाये। भूमि हदबंदी अधिनियम में कुछ त्रुटियां रह गई हैं। इन्हें दूर किया जाये। भूमि हदबंदी अधिनियम का उद्देश्य उन बड़े-बड़े कुलकों पर नियंत्रण करना है जो भूमि काबू किये बैठे हैं। परन्तु वास्तव में पांडिचेरी में तो सरकार छोटे किसानों को दबा रही है।

सरकार ने वहां कोई सलाहकार समिति का गठन नहीं किया। सचिव हैं तो सही पर उन्हें कोई अधिकार नहीं। जब तक समिति नहीं बनाई जाती तब तक सरकार भूमि सुधार के अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती। पिछले वर्ष कावेरी डेल्टा में फसलें नष्ट हो गई।

सरकार पांडिचेरी की अवहेलना कर रही है। कोई समिति जब बनती है तो पांडिचेरी को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। पांडिचेरी में लोगों को बिना कारण बताये नौकरियों से निकाला जा रहा है। अध्यापकों को उचित वेतन नहीं मिलता।

पांडिचेरी में विश्वविद्यालय खोला जाना था। पर वहां कुछ नहीं हुआ। अरियानकुप्पम परियोजना का क्या बना। हवाई अड्डे का क्या हुआ। तापीय केन्द्र का क्या हुआ। ये बातें कई वर्ष पुरानी हो चुकी हैं।

अध्यापकों के वेतनमानों में कई प्रकार की कमियां हैं। उनमें सुधार के लिए एक समिति नियुक्त की जाये। उनकी वरीयता सूची की दोबारा जांच की जाये। पिछले 10 वर्षों से सेवारत कई मुख्याध्यापकों की सेवाओं को स्थायी नहीं किया गया है। आप इन त्रुटियों को दूर कीजिये।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : सदस्य महोदय बेशक अकेले बोले हैं पर अपने राज्य के बारे में उन्होंने बड़ी विद्वत्तापूर्वक सारी बातें कह दी हैं। पिछली बार भी उन्होंने सलाहकार समिति का प्रश्न उठाया था। इस मामले पर गृह मंत्रालय के साथ बात-चीत चल रही है। यदि अध्यापकों या किसी अन्य मामले में विशेष रूप से कुछ शिकायतें हैं तो उनकी जांच की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी अन्य बातें सम्बन्धित विभाग को भेज सकतें हैं।

श्रीमती सुशील रोहतगी : आपने जो बातें उठाई हैं उन्हें सम्बन्धित विभाग को भेज दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : हम खंडवार चर्चा आरम्भ करते हैं। संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। **प्रश्न यह है :**

> "कि खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 2, Clause 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

विद्युत् (प्रदाय) संशोधन विधेयक

ELECTRICITY (SUPPLY) AMENDMENT BILL

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 को 1948 में बनाया गया था जब हमने विद्युत् क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास आरम्भ किया था । इस के ढांचे में पिछले 29 वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । पर इस बीच विद्युत् क्षेत्र का बहुत विकास हुआ है और 1950 से 1975 के बीच यह वृद्धि 10 गुना हो गई है ।

तेजी से विकासशील संगठन के ढांचे में शीघ्र परिवर्तन करने की आवश्यकता रहती है ताकि समय की मांग पूरी की जा सके । विद्युत् परियोजनाओं के आयोजन और निष्पादन में हाल ही के वर्षों में सुचारुता लाने की बहुत आवश्यकता है । इस क्षेत्र में भारी पूंजी लगाई जाती है । सभी संसाधनों का अधिकतम उपयोग और न्यूनतम लागत सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति तैयार करना अविनार्य है । इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए पुराना अधिनियम अपर्याप्त था ।

आधुनिक प्रबन्ध व्यवस्था के लाभ भी विद्युत् क्षेत्र को मिलने चाहियें । इस उद्योग से गैर-सरकारी क्षेत्र को बिल्कुल हटा दिया गया । औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसरण में ऐसा किया गया था ।

इस विधेयक द्वारा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के ढांचे और कृत्यों के सम्बन्ध में किया जा रहा है । 1948 के अधिनियम की धारा 3 में 6 सदस्यों से अनधिक केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के गठन की व्यवस्था है । अभी तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को पूर्णकालिक निकाय का रूप नहीं दिया गया था, यह अनुभव किया गया कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और विद्युत् आयोग के विकास के लिए केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण को सुदृढ़ बना कर उसे पूर्णकालिक निकाय बनाया जाये जिससे कि वह अपनी भूमिका और अधिक सशक्त तथा कारगर ढंग से निभा सके ।

अब प्राधिकरण के कृत्यों में वृद्धि की जा रही है तथा उसे संसाधनों का और अधिक कारगर उपयोग करने में सक्षम बनाया जा रहा है । अब इस प्राधिकरण का काम एक सुदृढ़ और पर्याप्त राष्ट्रीय नीति तैयार करना तथा विद्युत के विकास हेतु अल्पकालिक तथा प्रस्तावित आयोजनाएं तैयार करना होगा। यह प्राधिकरण लागत, कुशलता, हानि, लाभ और इसी प्रकार के अन्य मामलोंका अध्ययन भी करेगा तथा उसके साथ साथ विद्युत् पैदा करने, उसका वितरण, तथा उपयोग करने सम्बन्धी आंकड़ों को भी एकत्र करेगा । संसाधनों का पूरा पूरा उपयोग करने और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐंसा उपबन्ध भी किया जा रहा है । इस प्राधिकरण के 8 पूर्णकालिक सदस्यों के साथ साथ 6 अंशकालिक सदस्य भी होंगे । इसके कुछ सदस्य ऐसे भी होंगें जो विशिष्टता तथा विशेषज्ञता प्राप्त होगें । इतना ही नहीं प्राधिकरण के विशेषज्ञों को उपयुक्त प्रशिक्षण भी दिया जायेगा । आज हमारे लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है कि विद्युत इंजीनियरों की सभी शाखाओं में कार्यकुशल व्यक्ति हों क्योंकि आज का ुग विशेषज्ञों का युग है । हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण सुविधायें, अच्छी प्रबन्ध व्यवस्था और संगठात्मक परिवतनों के द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब कुछ करने का प्रयत्न करेंगें ।

अब हमने विद्युत पैदा करने तथा उसका वितरण करने का कार्य अलग अलग कर दिया है । अधिनियम में यह व्यववस्था भी है जिसके अनुसार बड़ी बड़ी कम्पनियां विद्युत् को पैदा कर उसे थोक मूल्य पर बिजली बोर्डो को बेचने का कार्य करेगी । इस प्रकार बिजली बोर्ड केवल विद्युत वितरण की एजेंसी का कार्य करेंगे । इसके साथ ही अधिनियम में यह व्यवस्था भी है जिसके अनुसार यह राज्य सरकार की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह कम्पनियों का निर्माण करे या बिजली बोर्ड को ही यह कार्य करन दें।

जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है केन्द्र में दो कम्पनियों की व्यवस्था है । एक कम्पनी केन्द्रीय तापीय केन्द्रों तथा दूसरी केन्द्रीय पन बिजली केन्द्रों के निर्माण और संचालन के लिए हैं । उदाहरण के लिए राष्ट्रीय तापीय विद्युत् निगम सुपर तापीय परियोजना के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा तथा वह क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पुरा करेगी । राष्ट्रीय पन बिजली निगम केन्द्र की पन बिजली योजना सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करेगा इस समय यह योजनायें देश के अनेक भागों में चल रही हैं । हम इस अधिनियम के वित्तीय उपबन्धों में परिवर्तन करने के प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं । राज्य सरकारों के साथ इस सम्बन्ध में विचारविमर्श करने का कार्य भी पूरा किया जा चुका है । संशोधनों को अन्तिम रूप देने के लिए भी काफी कार्य किया जा चुका है तथा निकट भविष्य में हम एक विधेयक वित्तीय उपबन्धों के सम्बंध में भी प्रस्तुत करने वाले हैं । हमें आशा है कि आने वाले अनेक वर्षों के लिए विद्युत का अच्छा विकास हो जायेगा । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं ।

डा० सरदीशराय (बोलपुर): मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसे मैंने काफी ध्यानपूर्वक सुना है परन्तु उसमें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया है कि आखिर उन्हें अध्यादेश क्यों जारी करना पड़ा ? इस विधेयक को लाकर सरकार ने अनुचित कार्य किया है । इसी प्रकार का एक विधेयक केन्द्रीय संशोधन विधेयक—पिछल सत्र के दौरान राज्य सभा में लाया गया था । पर उसे वापस ले लिया गया। सरकार को अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता को स्पष्ट करना चाहिये । विद्युत् संकट को हल करने के नाम पर सरकार नौकरशाही को बढ़ा रही है । यह बताया जाना चाहिये कि किस राज्य सरकार ने

इस विधेयक का विरोध किया था। केन्द्र के पास बहुत शक्ति आ गई है और इस अधिनियम द्वारा सरकार नौकरशाही को बहुत अधिकार दे रही है ।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के कार्यक्रम का विस्तार करना है। सरकार यह विश्वास दिलाना चाहती है कि विद्युत् संकट का कारण इस प्राधिकरण के पास अधिकारों का काम होना है। वे इस संकट के वास्तविक कारण को घुमाना चाहते हैं।

देश में विद्युत् संकट पर सरकार ने उचित ढंग से विचार नहीं किया है। जिस नौकरशाही के कारण यह संकट उत्पन्न हुआ है उसी को अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं। ठेकेदारों और नौकरशाही के बड़े ओहदेदारों के बीच सांठ गांठ के कारण यह संकट पैदा हुआ है और विद्युत् परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। कई विदेशी कम्पनियां भी सरकार को सप्लाई किये गये माल पर अधिक लाभ कमाने के लिए सरकार पर दबाव डालती हैं और परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब होता है। नौकरशाही को अधिक अधिकार देने से तो संकट और बढेगा।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन सम्बन्धी वक्तव्य में कहा गया है कि एक राष्ट्रीय विद्युत् नीति तैयार की जा रही है। इसका अर्थ यह है कि योजना के 25 वर्ष बाद भी विद्युत् के पैदा करने और वितरण करने सम्बन्धी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं थी। अभी भी नगरीय क्षेत्रों में विद्युत् की कमी है।

विद्युत् पैदा करने वाली गैर सरकारी कम्पनियां भारी मुनाफा कमा रही हैं जबकि सरकारी कम्पनियों को भारी हानी होती है। यह नौकरशाही के कारण ही है। नौकरशाही के अधिकार बढ़ाने से संकट और बढ़ेगा। सरकार का यह दावा गलत है कि गहन अध्ययन किया गया है। यह टालने की बात है।

अतः वर्तमान विधेयक समस्या को सुलझाने के स्थान पर और उलझायेगा। यह नहीं लगता कि सरकार वर्तमान विद्युत् संकट को सुलझाने का काम गम्भीरता से कर रही है।

डा० के० एल० राव (विजयवाडा) : मन्त्री महोदय तथा उनका विभाग देश के लिए विद्युत् उत्पादन सम्बन्धी जो कार्य कर रहे हैं वह निश्चय ही सराहनीय हैं। हमारे---देश में विद्युत् की कमी का मुख्य कारण यह है कि विद्युत् सम्बन्धी राष्ट्रीय मांग बढ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए हमें अधिक से अधिक पैदा करनी चाहिए। हमने अभी तक विद्युत् के महत्व को पहचान कर उसे उचित स्थान नहीं दिया है। अन्यथा यह कमी न रहती। मन्त्री जी ने राष्ट्रीय नीति की जरूरत को समझा है पर जरूरत पूरी करने का काम उन्होंने इस प्राधिकरण को सौंप दिया है। यह ठीक नहीं। समूचे देश के लिए इस बारे में राष्ट्रीय नीति घोषित की जानी चाहिए ।

मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जबकि देश के लिए विद्युत् पैदा करने का कार्य केन्द्र सरकार को पूर्णतया अपने हाथ में ले लेना चाहिये। अब हमें इस कार्य के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि विद्युत् का उत्पादन मुख्यतः केन्द्र द्वारा किया जाना चाहिये तथा इसके वितरण का कार्य राज्यों को करना चाहिये। ऐसा करने से अनेक लाभ हो सकेंगे। इस प्रकार के प्रस्ताव का विरोध हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों ने अवश्य ही किया था परन्तु क्योंकि उनके राज्यों की भूमि जलमग्न हो जाती है परन्तु यदि हम इस सम्बन्ध में व्यापक दृष्टिकोण

अपनायें तो ऐसा करने से अनेक लाभ हो सकते हैं। जिन राज्यों में जलाशय बनाये जायें, उन्हें केन्द्र द्वारा कुछ रायल्टी दी जा सकती है।

जहां तक भावी विद्युत् संसाधनों तथा मुख्य संसाधनों का सम्बन्ध है, हम पन बिजली के द्वारा 200 लाख किलोवाट बिजली पैदा कर सकते हैं। बिजली सम्बन्धी हमारी योजनायें राज्यों की आवश्यकता तथा संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए बनाई जानी चाहियें। उदाहरणार्थ कर्नाटक को ही लीजिये। कर्नाटक राज्य के बीच के लिए केवल 10 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, परन्तु इस उत्पादन क्षमता के समाप्त हो जाने पर भला क्या होगा? अतः हमें योजनायें बनानी हैं, उन्हें क्षेत्रीय आधार पर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

प्रस्तुत विधेयक में यह भी कहा गया है कि राज्यों में बिजली पैदा करने के अधिकरण बनाये जा रहे हैं। अब हमारे यहां 16 बिजली बोर्ड हैं। उनमें सम्भवतः बिजली उत्पादन कम्पनियों या निगमों की व्यवस्था की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : डा० राव आप अपना वक्तव्य मध्याह्न भोजन के बाद जारी रखियेगा।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए ो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The House then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर दो मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at two minutes past fourteen of the Clock

[**श्री सी० एम० स्टीफन** पीठासीन हुए]
[**Shri C. M. Stephen** *in the Chair*]

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों को स्मरण दिला दूं कि इस विधेयक पर चर्चा के लिए 2 घंटे का समय रखा गया है। मन्त्री महोदय तीन बजे अपना वक्तव्य देंगे तथा 3.30 बजे अगले विधेयक पर विचार किया जायेगा।

मध्याह्न भोजन से पूर्व मैं यह कह रहा था जिन राज्यों में बिजली का प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत कम है, उनके लिए केन्द्र द्वारा कोई योजना बनाई जानी चाहिये। ऐसा करने के लिए यह अच्छा ही होगा यदि हम इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति बनायें।

मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में एक संशोधी विधेयक लाने के लिए बात भी कही है। परन्तु मैं समझता हूं कि हमें तो इसमें मूलभूत परिवर्तन करने चाहियें। बिजली का उत्पादन केन्द्र के माध्यम से ही किया जाना चाहिये। इसके लिए हमें 10 वर्षीय योजनायें बनानी चाहियें। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक 1500 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन नहीं किया जा सकेगा। हमारा उद्देश्य देश के प्रत्येक भाग में एक ही दर पर बिजली की सप्लाई करना है ताकि पारेषण में जो हानि होती है वह

भी पूरी हो जाये । यह समिति इस सम्बन्ध में हमारी सहायता कर सकी है । जिससे कि हम 20 वर्ष में 1500 लाख किलोवाट बिजली पैदा कर सकें ।

अब मैं अपने कुछ संशोधनों को स्पष्ट करूंगा । मैंने यह सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय तापीय प्रजनन (बिजली उत्पादन) निगम और राष्ट्रीय पन बिजली उत्पादन निगम की स्थापना की जाये, क्योंकि बिजली उत्पादन कम्पनी सुचारु रूप से कार्य नहीं करती है । केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना राज्यों को ऐसे समान निगम स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । जहां अत्यावश्यक समझा जाये वहां केन्द्रीय संगठन की अनुमति से ऐसा किया जा सकता है ।

मैंने यह भी सुझाव दिया है कि सदस्यों की संख्या कम कर दी जानी चाहिए । 16 सदस्य रखना आवश्यक नहीं है । अल्पकालिक सदस्यों से बाधाएं ही उत्पन्न हो सकती हैं । इसलिए पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 7 या 8 ही काफी होगी ।

इसी प्रकार योग्यताओं के सम्बन्ध में विधेयक में एक खण्ड है कि वाणिज्यिक औद्योगिक या व्यापार प्रबन्ध में अनुभवी व्यक्तियों को भी सदस्य नियुक्त किया जा सकता है । यह अत्यन्त घातक उपबन्ध है क्योंकि अधिक तकनीकी जानकारी बहुत जरूरी कर दी गई है । अतः हमें इंजीनियरों में से ही सदस्यों का चुनाव करना चाहिए । हमें इंजीनियरों को 55 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्त नहीं करना चाहिए । उनकी सेवाएं 2 या 3 वर्ष तक और ली जा सकती हैं ।

श्री पी० के० देव (कालाहाँडी) : मैं इस बात से सहमत हूं कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विद्युत् क्षेत्र की आयोजना तैयार की जाये । मैं क्षेत्रीय ग्रिड बनाने के पक्ष में नहीं हूं । इसके बजाये राष्ट्रीय ग्रिड तैयार किए जाने चाहिएं । हमें क्षेत्रीय असमानताएं दूर करने पर जोर देना चाहिए । यदि पिछड़े क्षेत्रों में विद्युत् का प्रबन्ध हो जाये तो वहां के लोगों की रहन सहन में काफी अन्तर आयेगा । रोजगार के अवसर अधिक होंगे । बिजली देने के मामले में इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । जहां तक विद्युत् चालित पम्पों का सम्बन्ध है, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य बहुत पिछड़े हुए हैं । अतः देश के पूर्वी भागों में बिजली पहुंचाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए ।

विधेयक का उद्देश्य और कारणों सम्बन्धी कथन बहुत प्रशंसनीय है और मैं इसका समर्थन करता हूं । लेकिन अपर इन्द्रावती बहुप्रयोजनीय सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के मामले पर मैं अधिक जोर देना चाहता हूं । पन बिजली परियोजना अन्तर-राज्य जल विवादों के कारण बेकार पड़ी है । लेकिन अब ये विवाद हल हो गये हैं और विभिन्न राज्यों को जल बांट दिया गया है ? महानदी में गोदावरी का पानी लाया जायेगा और इससे 600 मैगावाट बिजली तैयार की जायेगी । जिससे 5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ।

पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में बाक्साइट के विशाल भण्डारों का पता बहुत पहले ही लग चुका हैं यह विश्व के विशाल भण्डारों में से एक है । इस्पात और खान मंत्रालय ने घोषणा की थी कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में अलुमिनियम का एक-एक संयंत्र लगाया जायेगा । लेकिन उनके लिए कम से कम 200 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है जो केवल इन्द्रावती बिजली घर से ही प्राप्त हो सकती है । अतः इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

कोरबा बाक्साइट भण्डार के निकट अलुमिनियम संयंत्र की स्थापना की जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड और 'बाल्को' के बीच चल रहे विवाद से इस कार्य में आशातीत प्रगति नहीं हो रही है।

अब मैं अपने संशोधन की ओर आता हूं। कई वर्ष से हम कहते आ रहे हैं कि एकाधिकार गृहों को अनावश्यक छूट दी जा रही है। 'हिंडालको' को रिहन्द से और 'इन्डाल' को हीराकुंड से सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई गई है। लेकिन जरूरतमन्द किसानों को अपने नलकूपों के लिए बिजली नहीं मिलती है। अब पनबिजली निगम की स्थापना होने के बाद इन लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग ने इन्द्रावती विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है और अब यह मामला योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति के पास अनिर्णीत पड़ा है। मुझे आशा है इसे शीघ्र मंजूरी मिल जायेगी।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह देश में विद्युत उत्पादन के विकास के इतिहास में प्रशंसनीय उपाय है। मंत्री महोदय ने एक पनबिजली उत्पादन निगम तथा दूसरा तापीय बिजली उत्पादन निगम की स्थापना कर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इससे हमारे देश में बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ जायेगी।

इन दो विद्युत उत्पादन निगमों की स्थापना करने के बाद मंत्री महोदय को दक्षिण भारत में उपलब्ध कोयले के विशाल निक्षेपों का उपयोग करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए और दक्षिण भारत में बिजली की बढ़ती हुई कमी को दूर करने के लिए क्षेत्रीय सुपर तापीय बिजली घर स्थापित करने चाहिएं। मंत्री महोदय को इन सुपर तापीय बिजली घरों को सिंगरेनी कोयला खानों की तरह राज्यों तथा केन्द्र दोनों की संयुक्त भागीदारी से स्थापित करना चाहिए जिससे कि दक्षिण भारत में बिजली की कमी पूर्णतः दूर हो जाये।

पन बिजली उत्पादन निगम की स्थापना कर केन्द्र को श्री सेलम जैसी बहुत समय से अनिर्णीत पड़ी परियोजनाओं को इस निगम के अधीन कर अपने अधिकार में कर लेना चाहिए। इस निगम को वे सभी प्रमुख योजनाएं अपने अधिकार में कर लेनी चाहिएं जिन्हें राज्य सरकारें अभी तक पूरी नहीं कर पायी हैं।]

मैं ने इस विधेयक पर दो संशोधन पेश किये हैं। एक है--पुनर्निर्मित केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के उद्देश्यों को निरुपित करते हुए मंत्री महोदय ने कहा है कि यह राष्ट्रीय विद्युत नीति के विकास और राष्ट्रीय पारेषण ग्रिड से राष्ट्रीय विद्युत 'पूल' के हमारे लक्ष्य पूरे करने के लिए ही है। विधेयक के उद्देश्यों में यह कथन है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अल्पकालिक और दीर्घकालिक महत्वपूर्ण विद्युत विकास योजनाएं ही तैयार करेगा और योजना एजेंसियों का समन्वय करेगा। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इसका उद्देश्य "राष्ट्रीय पारेषण ग्रिड के साथ राष्ट्रीय विद्युत 'पूल' की लक्ष्य पूर्ति" विशिष्टतया उल्लेख किया जाना चाहिए।

मेरा दूसरा संशोधन राज्य बिजली बोर्डों के कर्तव्यों का पुनर्आवंटन करने के बारे में है। राज्य स्तर पर बिजली पैदा करने का कार्य राज्य बिजली बोर्डों से पृथक किया जाना सराहनीय कदम है। इससे हानि भी कम होगी। राज्य बिजली बोर्डों ने काल्पनिक टैरिफ नीति अपना कर कृषि

और कुटीर उद्योगों में विकास किया है, जो कि पिछड़े क्षेत्र में असम्भव है। अतः मैंने सुझाव दिया है कि लिपट सिंचाई करने वाले लोगों और ग्रामीण कुटीर उद्योगों के हितों की सुरक्षित रखा जाये ताकि सूखे वाले क्षेत्रों में जीवन पर्यन्त सिंचाई करने वाले लोग वर्तमान बन्धन से मुक्त हो सकें।

Shri Shanker Dayal Singh (Chatra) : I rise to support this Bill. It is a welcome measure because it provides for the formulation of a national power policy. The Central Government should assess the requirements of power for the different sectors of agriculture and industry. Then the multiplicity in the rates of electricity should also be abolished. It is not proper to give huge concession to the monopoly houses so far as the electricity is concerned. If concessions are to be allowed they should be allowed to poor peasants.

Therefore I suggest that there should be a national power policy evolved and effective steps should be taken to maximise power generation and super thermal power stations should be set up at different places.

Then topmost priority should be accorded to rural electrification schemes.

It should be provided in this Bill that two members of Parliament shall be nominated to the Central Electricity Authority so that this authority may run in a proper manner.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। पुराना अधिनियम बदलती हुई परिस्थितियों का मुकाबला करने में असमर्थ है। मंत्री महोदय ने इस बात पर भी बल दिया है कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा राष्ट्रीय ग्रिड की संकल्पना तैयार करना है। लेकिन हम अभी तक यह कार्य नहीं कर पाये हैं। इस मामले में हम बहुत पीछे रह गये हैं।

गत 3–4 वर्षों में उत्पन्न हुए बिजली संकट से इस बात का पता चला है कि राष्ट्रीय विद्युत संसाधनों का न तो उपयोग ही किया गया है न ही उन पर प्रभावी नियंत्रण ही हुआ है। कम बिजली उत्पादन करने वाले राज्यों को न केवल अन्तर्राज्य पारेषण लाइनों के अभाव में ही फालतू विद्युत का उपयोग करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, बल्कि इसलिए भी कि अधिक विद्युत उत्पादन करने वाले राज्य अपनी फालतू विद्युत का अन्य कम बिजली वाले राज्यों को देना नहीं चाहते हैं।

फिर पन बिजली संसाधनों का उपयोग करने के बारे में अनेक विवाद उठ खड़े हुए हैं, जैसे सुपर तापीय बिजली घरों के लिए स्थान का चयन करने के बारे में आई हैं। इन सभी से इनके निर्माण और विकास में बाधा पड़ी है। अतः यदि हम इस संशोधन विधेयक को इस दृष्टि से देखें कि क्या यह वास्तव में केन्द्रीय स्वामित्व और विद्युत उत्पादन तथा पारेषण क्षमता पर केन्द्र का नियंत्रण सुनिश्चित करता है तो इस विधेयक से निराशा ही मिलती है। अतः एक अधिक व्यापक और आमूल विधेयक लाया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय विद्युत नीति की एक मुख्य विशेषता यह होनी चाहिए कि वह कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम, टाटा पन बिजली केन्द्र, आंध्र घाटी विद्युत प्रदाय कम्पनी बम्बई उपनगरीय विद्युत प्रदाय निगम, अहमदाबाद विद्युत प्रदाय कम्पनी की भांति संयुक्त निजी लायसेंसों को अपने अधिकार में कर ले।

ये कम्पनियां बम्बई, अहमदाबाद, तथा कलकत्ता, जो देश में औद्योगिक संकेन्द्रण एवं विकास के तीन मुख्य क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को बिजली सप्लाई कर रही हैं। ये सभी कम्पनियां इन क्षेत्रों में विद्युत सम्बन्धी अपना एकाधिकार स्थापित किये हुए हैं और भारी मुनाफा कमा रही हैं। क्या आप

यह समझते हैं कि देश के हित में 'राष्ट्रीय विद्युत नीति' का विकास इन मुनाफा कमाने वाली कम्पनियों के साथ हो सकता है? इन कम्पनियों के लाइसेंस बार-बार नवीकृत कर दिये जाते हैं। ऐसा लगता है सरकार इनसे डरी हुई है। कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम सरकार और उपभोक्ताओं से ब्लैकमेल कर रही है और घरेलू टैरिफ बढ़ा कर भारी मुनाफा कमा रही है।

केन्द्रीय विद्युत उत्पादन और राष्ट्रीय ग्रिड के लिए केन्द्र को अधिक सोद्देश्य एवं सापेक्ष पहल करनी चाहिए। केन्द्र तापीय बिजली, पन बिजली, परमाणु विद्युत केन्द्रों को एक-एक करके अपने अधिकार में ले। अधिकाधिक हाई वोल्टेज वाली अन्तराज्यीय पारेषण लाइनों पर केन्द्र का नियंत्रण होना चाहिए।

प्रस्तावित विधेयक में एजेंसियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इससे राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय उद्देश्यों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एजेंसियों का बाहुल्य श्रमिकों के हितों के भी प्रतिकूल है। अतः इस पर विचार किया जाना चाहिए।

बिजली और प्रशुल्क की दरों के बारे में राष्ट्रीय नीति क्या है? जब कभी भी बिजली की दर बढ़ाई जाती है तो इसके सबसे पहले शिकार किसान, लघु उद्योग और घरेलू उपभोक्ता ही होते हैं। बिड़ला जैसों को सभी रिआयतें मिलती रहती हैं। अतः राष्ट्रीय विद्युत प्रशुल्क नीति विकास और प्रजनन की दृष्टि से बनाई जानी चाहिए। आशा है मेरे इस सुझाव को ऐसा विधेयक लाते समय ध्यान में रखा जायेगा।

Shri M. C. Daga (Pali) : The Government said that companies will be established in areas where there are facilities of transport and raw material. If this is the policy that the Government followed, then states like Rajasthan and Madhya Pradesh will always remain undeveloped. The Companies, as visualised in the Bill should, as far as possible, be established in undeveloped areas.

It has been provided that only those persons who have adequate technical knowledge can become a full-time member of Electricity Boards. I fully support this provision.

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : I congratulate the minister for bringing this Bill. This bill should apply uniformly to all the states otherwise many difficulties will crop up.

There should be at least three members in the Electricity Board, because it is not possible for a single man to look, after all the matters.

The progress of Subarn Rekha Project is very slow. This should be looked into.

More power stations should be established in Bihar. There is much corruption in electricity department, on account of which the common man suffer. The working of the department should be improved.

All big electricity supply companies in the private sector like Ta'a Hydal Power and Andhra Valley Power supply company should be taken over by the Government. They have already earned a lot.

श्री वाई० एस० महाजन (बुलढ़ाना) : विद्युत के क्षेत्र में अत्यधिक विकास होने पर भी मांग और सप्लाई में अत्यधिक असन्तुलन है।

इसका कारण स्पष्ट है। बिजली सप्लाई अधिनियम, 1948, बहुत ही अपर्याप्त और त्रुटिपूर्ण है। यह उस देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता जिसकी बिजली की आवश्यकता प्रति वर्ष 15 प्रतिशत बढ़ रही है।

केन्द्रीय बिजली सप्लाई प्राधिकरण की स्थापना बिजली सप्लाई अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत की गई थी। परन्तु इससे प्राधिकरण को अपने विकास तथा विभिन्न गैर-सरकारी उपक्रमों के कार्य में समन्वय स्थापित करने का अधिकार नहीं है। इस कारण आर्थिक या व्यापारिक अनुशासन इनमें नहीं है। बिजली बोर्ड संकट में हैं और परिणामस्वरूप उद्योगों को हानि होती है। इतना भी पता नहीं होता कि कब बिजली बन्द होगी और कब आयेगी।

मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय इन त्रुटियों को दूर करने के लिए इस विधेयक को लाये हैं। इस विधेयक से समग्र विद्युत् की सप्लाई के हित की दृष्टि में रखते हुए केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के कार्यकरण का विस्तार होगा। महाराष्ट्र में विद्युत् सप्लाई में पहले ही 10 से 30 प्रतिशत कटौती कर दी गई है। एक नवम्बर से 10 प्रतिशत और कटौती कर दी गई है। इससे प्रतिदिन लगभग 5 करोड़ रुपये के उत्पादन की हानि होने की सम्भावना है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है और इस ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

मुझे आशा है गैस टर्बाइन पावर प्लांट की योजनाओं को मंजूरी दी जायेगी क्योंकि यह $1\frac{1}{2}$ वर्ष के भीतर कार्य करने लगता है जबकि तापीय बिजली घर को चलने में 5 वर्ष लग जाते हैं।

विद्युत् विस्तार योजनाओं जैसे ट्राम्बे में तारापुर अणुशक्ति और तापीय बिजली घर तथा बम्बई सबर्बन इलैक्ट्रीसिटी कम्पनी को मंजूरी नहीं मिली है। इन्हें अपना विस्तार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।]

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : Electricity is one of the essentials of life these days. It is good that the Minister has brought forward this bill making radical changes in the Electricity Supply Act, 1948.

The Bill does not lay down the tenure and qualifications of the Chairman of the Central Electricity Authority. This should be provided. The number of members in the Central Electricity Authority should be increased from 14 to 15. Public representatives should be included in Central Electricity Authority and also in the State Electricity Boards.

Effective steps should be taken to check the wastage as also the leakage of power. Those found guilty for the offences should be penalised and efficient workers should be rewarded.

Agriculturists should be supplied electricity at cheaper rates.

Some years back it was proposed to establish power stations at Katihar and Muzaffarpur in Bihar. But those schemes were subsequently given up. The Minister should look into it and revive those schemes.

श्री बी० वी० नायक (कनारा): कारण और उद्देश्य सम्बन्धी कथन में जो कुछ कहा गया है वह उस समय के बारे में है जब देश में सूखा और कानून व व्यवस्था की समस्या थी। अब वह समाप्त हो गई है तथा कानून और व्यवस्था कायम हो गई है।

दूसरी बात यह है कि कभी न कभी बिजली विभाग का केन्द्रीकरण होना है इसलिए उसके लिए कोई विधान लाने में हमें हिचकना नहीं चाहिए। वर्तमान विधेयक एक प्रगतिशील और उचित दिशा में उठाया गया एक कदम है।

मंत्री महोदय शक्ति के इस महत्वपूर्ण संसाधन के वितरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करें जिससे वितरण समान हो सके। मेरे राज्य में काली पन बिजली परियोजना एक बड़ी पन बिजली परियोजना

चल रही है। वर्तमान विधेयक के अन्तर्गत काली परियोजना का क्या स्वरूप क्या होगा यह ज्ञात नहीं।

पन बिजली परियोजनाओं, जो अभी तक अपर्याप्त हैं और सन्तोषजनक कार्य नहीं कर रही है, के कारण प्रभावित लोगों का तभी पुनर्वास हो सकता है जब विद्युत उत्पादक व्यवस्था तथा केन्द्रीय प्राधिकरण एवं राज्य विद्युत बोर्ड समेकित रूप से कार्य करें।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : It is necessary to bring such a legislation with the view of increasing consumption of electricity.

The Central Electric Authority and generating Companies should function in such a way that the under-developed states could receive sufficient amount of electricity. In order to ensure proper and reasonable supply of power to those states which are not fortunate in respect of power generation the production, distribution and supply of power should as far as possible, remain in the hands of the centre.

[**श्री पी० पार्थसारथी** पीठासीन हुए।
Shri P. Parthsarthy *in the Chair*]

The rates of electricity should be uniform for both agriculture and industry. At present agriculturists have to pay more. India is an agriculturist country and as such the farmers should get electricity on cheaper rates.

Much corruption prevail in the department of electricity in the states. It is difficult to set power connection without bringing the officers concerned. This should be looked into.

The representative of industry and labour have been given representation in Central Electricity Authority, but representation has been given to the agriculturists. They should be given representation.

Shri Hari Singh (Khurja) : The present Bill has been introduced on a very proper time. It was much needed,

Only 13·4 per cent of the total power generated is given to rural areas for the use of agriculturists. It should be increased.

It is very difficult for a poor farmer to get electricity for his tubewell etc. Thousands of applications are pending at present. This should be looked into and immediate and effective steps should be taken to supply electricity to farmers. Rural electrification programme should be speeded up.

श्री वयालार रवि (चिर्रियंकिल): मैं विद्युत सम्बन्धी एक राष्ट्रीय नीति बनाए जाने का समर्थन करता हूं। परन्तु यह नीति केवल बिजली के सम्बन्ध में ही नहीं। मेरे राज्य केरल में बिजली बहुत है, वह तो ले ली जाए परन्तु वहां खाद्यान्न की कमी है वह उसे बाहर से अन्य राज्यों से मंगाना पड़ता है, वहां बेरोजगारी है। अतः मैं यह कहता हूं कि इन सबके सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि विद्युत और ऊर्जा के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए लेकिन यह नीति केवल विद्युत के लिए ही नही होनी चाहिए। जब हम विद्युत और जल के प्रश्न पर विचार करते हैं तो हमें खाद्य और रोजगार संबंधी राष्ट्रीय नीति भी स्वीकृत करनी चाहिए।

आप ने इदिक्की परियोजना पर 160 करोड़ रुपया व्यय किया है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। यदि आप इस परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपया और दे दे तो वहां की बिजली का उत्पादन दुगना हो जाएगा।

केरल में घोर बेरोजगारी है और वहां विद्युत की व्यवस्था होने से राज्य में अधिक उद्योग लग सकते हैं जिन से लोगों को रोजगार मिल सकता है।

हम विद्युत के संबंध में राष्ट्रीय नीति बनाने के पक्ष में हैं बशर्ते सरकार केरल की अन्य आवश्यकताए भी पूरी करें।

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अनुसन्धान के क्षेत्र में अधिक सार्थक स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि यह श्रेष्ठ एजेन्सी है जिसके माध्यम से हम अपनी भारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।

रिहन्द बांध जैसी अत्यन्त आकर्षकपन बिजली परियोजना को राज्यों ने कुछ विवाद के कारण अभी तक मंजूरी नहीं मिली है आशा है ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शीघ्र पूरी होंगी और मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश जहां कि 18 महीने पहले बिजली की अधिकता थी अब एकदम बिजली की कमी का शिकार होगा। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद यह समस्या नहीं रहेगी।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : Mr, Chairman, Sir, I welcome this Bill. There should be a national policy in regard electricity

At present there is difference in the rates of power for agriculturists and for industries. This difference should be removed. The rates of power for agriculturists should be reduced.

It has not been made clear who will head the State electricity Boards. Is it the intention of Government to appoint I.A.S. people as Chairmen of these Boards ? This will be unfair.

Madhya Pradesh, which was till recently surplus state in power has now become a deficit state. A super thermal power station is proposed to be established in sidhi but so far nothing has been done in this regard. More thermal power stations should be established in Madhya Pradesh.

Corruption is rampant in the electricity departments.

It is very difficult to get a power connection without paying some money. District advisory committees should be appointed in each district which should include M.P's. and other public representatives. This committee should look into all such matters of giving connections etc.

With these words I support this Bill.

Shri Bibhuti Mishra (Matihari) : Mr. Chairman, sir, this is an important Bill and I fully support it.

Under the present rules all persons who have got power connections whether they use it or not have to pay a minimum tariff. This rule should be amended and tariff should be charged on power consumed only.

There is much disparity in the availability of power amongst different states in India. Bihar has one of the lowest rates of power availability as compared to other states. In Bihar also, North Bihar which has a population of three crores. There is no power station. It is proposed to set up a thermal power station at Chakai but so far nothing has been done. This should be looked into and the interest of North Bihar in respect of power supply should be safeguarded.

The Hon. Minister should make himself aware of the difficulties of each state by contacting the concerned persons and should try to remove these difficulties.

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : सभापति महोदय मैं श्रम संबंधी एक दो बातों पर बल देना चाहता हूं।

जहां तक राष्ट्रीय विद्युत नीति का संबंध है इसमें बिजली कर्मचारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए घाटे को पूरा करने की दृष्टि से बिजली कर्मचारियों का सहयोग लेना बहुत आवश्यक है। उन्हें प्रबंध में भागीदार बनाया जाए। बिजली बोर्ड और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जाए।

प्राधिकरण का एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जिसमें कि कर्मचारियों को संगठित करने की क्षमता हो ।

राष्ट्रीय नीति के संबंध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि देश में अधिकाधिक बिजली का उत्पादन किया जाए । देश के किसी भी भाग में जहां कहीं भी आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद परियोजनाएं हैं चाहे वे उड़ीसा में हों अथवा पश्चिम बंगाल में हमें उन पर बिना राजनीति दबाव या अन्य बातों के कार्य शुरु करना चाहिए तभी हम प्रचुर मात्रा में बिजली उत्पादित करने के अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकेंगे ।

हम केन्द्र द्वारा बिजली उत्पादन के विरोध में नहीं हैं । वास्तव में हमने इस बात पर बल दिया है कि केन्द्र को इसका विकास करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए । साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उड़ीसा जैसे राज्यों में जहां कि प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं बिजली का उपयोग प्रादेशिक विकास तथा क्षेत्रीय असंतुलनाताओं को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए।

Shri Ram Hedaoo (Ramtek) : People have to experience lot of difficulity on account of inadequate power generations and lack of proper distribution of power. There is a widespreard corruption is electricity Departments and these depertment harass pepole.

Farmers do not get electricity in time and in adequate supply. So per cent of the electricity generated in Vidarbha is given to factories in Bombay and Western Maharashtra and out of remaining 20 percent electricity is given to vidarbha. The result is that the farmers and cottage industries in this area do not get electricity this imbalance should be rectified.

Two power generation centres should be immediately be set up in Vidarbha. If Hydro Electricity Authouty is set up it will be a boon for the people of Vidarbha.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सभापति महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद विवाद में भाग लिया है तथा इस विधेयक का समर्थन किया है। मैंने माननीय सदस्यों के सुझावों को सुना है तथा उन पर पूरा पूरा विचार किया जाएगा ।

कई माननीय सदस्यों ने प्रादेशिक असंतुलन का जिक्र किया है । पिछड़े क्षेत्रों के पिछड़ेपन को बिजली की सप्लाई द्वारा दूर नहीं किया जा सकता । निस्संदेह किसी भी पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए किए जाने वाले समन्वित कार्यक्रम में बिजली का महत्वपूर्ण भाग होता है और उसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विद्युत निगम उन राज्यों के लिए जोकि पिछड़े हुए है उनके विद्युतीकरण की योजनाएं बना रहा है तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रियायती दरो पर बिजली सप्लाई कर रहा है। निश्चय ही निगम पर उनका कुछ प्रभाव है लेकिन जो काम राज्य इस मामले में कर सकता है उसका वह प्रतिस्थापन नहीं कर सकते ।

एक यह भी आपत्ति की गई है कि जब सरकार ने अध्यादेश पेश कर दिया था तो उन्होंने राज्य सभा में पुरःस्थापित विधेयक को वापिस क्यों नहीं लिया । हमने राज्य सभा में विधेयक इसलिए पेश किया क्योंकि हम उसे जल्दी से जल्दी पास करना चाहते थे । लेकिन राज्य सभा में इस पर विचार नहीं हो सका । फिर भी हम चाहते थे कि जल्दी ही इसे स्वीकार कर लिया जाय । अतः एक अध्यादेश पारित किया गया । कम से कम इस बात के लिए मुझे बधाई देनी चाहिए कि मैं मामले को राज्य सभा के जरिए देश के समक्ष लाया । इस पर आपत्ति क्यों की जा रही है । अध्यादेश पारित होने के बाद मैंने यह विधेयक यथासभव शीघ्र लोक सभा में पेश किया है ।

कई माननीय सदस्यों ने केन्द्रीयकरण की आवश्यकता का उल्लेख किया है । हमने इस मामले पर तीन अनुसचवीय सम्मेलनों में राज्य सरकारों से बातचीत की है । इसके अतिरिक्त जब हम इस

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

विशिष्ट विधेयक के उपबन्धों पर विचार कर रहे थे तब भी हमने इस मामले पर उनके साथ चर्चा की थी। हमने इस विधेयक के माध्यम से जो कुछ किया है वह इस विवास की अवस्था में किया ही जाना चाहिए था और विषय की जटिलताओं को देखते हुए हमने एक ऐसा समाधान प्रस्तुत किया है जो कि आज की स्थिति के पूर्णतया अनुकूल है। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बिजली समवता सूची का विषय है। राज्य केवल इसमें सम्मिलित ही नहीं है अपितु बिजली के उत्पादन और वितरण में उनका प्रमुख स्थान है।

हमारा प्रयास केन्द्र द्वारा बिजली उत्पादन को बढ़ाने का है और इस नीति क अनुसरण में हमने कई उपाय किए हैं। देश में केन्द्रीय क्षेत्र में हम चार बड़े सुपर तापीय बिजली घर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कुल जनित्र होने वाली बिजली में केन्द्र द्वारा उत्पादित की जाने वाली बिजली का अनुपात काफ़ी बढ जाएगा।

विद्युत उद्योग के क्षेत्र में राज्यों का व्यापक ढाचा है प्रत्येक राज्य के प्रत्येक विभाग में काफ़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। उनके अपने पावर स्टेशन हैं, उनकी अपनी पारेषण और वितरण लाइनों का जाल बिछा हुआ है। इन सबको अपने अधिकार में लेने का जो सुझाव दिया गया है वह व्यवहार्य नहीं है। क्या हम प्रत्येक गांव को बिजली सप्लाई करने में समर्थ होंगे ? यदि हम इनको केन्द्रीय क्षेत्र में ले ले तो इसके गम्भीर परिणाम निकलेंगे। हमें राज्यों को निष्क्रय निकायों के रूप में नहीं समझना चाहिए वह सक्रिय विकास है तथा इस कार्य के लिए वह सर्वथा उपयुक्त हैं।

हम 400 के० वी० ए० लाइन बनाने जा रहे हैं। यह 400 के० वी० लाइन कई बिजली उत्पादन केन्द्रों को आपस में जोड़गी और यह हमारे राष्ट्रीय ग्रिड का आधारभूत ढांचा होगी। अन्तः राज्यीय लाइनों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। केन्द्र अन्तः राज्यीय लाइनों का वितपोषण कर रहा है और जहां इन अंतः राज्यीय लाइनों के निर्माण की आवश्यकता पड़ेगी पन बिजली निगम उन्हें बनाएगा। हमने एक उपबन्ध किया है जिसके द्वारा यदि आवश्यकता पड़ी तो हम इनका निर्माण करेंगे।

राष्ट्रीय ग्रिड के बारे में हमें कोई संकोच नहीं है। यह तो हमारी नीति है। लेकिन प्रक्रिया में समय लगेगा।

बिजली की कमी वाले राज्यों में बिजली पहुंचाने के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्ति उत्पन्न हुई प्रतीत होती है श्री वायलार रवि ने उल्लेख किया है कि बिजली की कमी वाले राज्यों को बिजली पहुंचाने से केरल को हानि हो सकती है। यदि केरल के पास अधिक बिजली है तो वह दूसरे राज्यों को मुफ्त में तो बिजली देगा नहीं। वह तो इससे धन कमा रहा है। अधिक बिजली पैदा करने वाले राज्य अपनी फ़ालतू बिजली से लाभ कमा रहे हैं। कई राज्य अन्तः राज्यीय ग्रिड बनाना चाहते हैं। अधिक बिजली वाले राज्यों को कम बिजली वाले राज्यों को बिजली सप्लाई करनी चाहिए। इससे उन्हे लाभ ही होगा अतः उन्हें अंतः राज्यीय लाइनों के लिए सहमत हो जाना चाहिए। ।

कई माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई थी कि बिड़ला अल्यूमिनियम संयंत्र को कम दर पर बिजली दी जा रही है। बिजली की दर का पुनरीक्षण कर दिया गया है। गत वर्ष बिजली की दर 2 पैसे प्रति किलो वाट थी, जिस को वढ़ा कर 12 पैसे प्रति किलोवाट कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त ईंधन अधिभार भी लिया जाता है।

हालांकि मैं प्रशुल्क के प्रश्न पर नहीं जाना चाहता तथापि कुछ माननीय सदस्यों ने एक समान प्रशुल्क की वांछनीयता की बात कही है। इस संदर्भ में मैं अल्यूमिनियम उद्योग

के लिए बिजली की दरें 2 पैसे से बढ़ा कर 12 पैसे करने संबंधी पेचीदगियों का उल्लेख करता हूं। एल्यूमिनियम की लागत में कुछ कठिनाइयां थीं और इसे मुख्यतया विद्युत उद्योग ही केबलों के लिए उपयोग में लाता है। इस से केबलों के मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा। अतः विद्युत के मूल्य बढ़ने से अल्यूमिनियम की लागत भी बढ़ेगी। परन्तु फिर भी ऐसा कर दिया गया है, क्योंकि हम सस्ती दरों पर बिजली नहीं देना चाहते।

डा० राय ने विदेशी कम्पनियों द्वारा मशीनों की सप्लाई में विलम्ब करने तथा अनुसूचित मुनाफा कमाने का प्रश्न उठाया था। हम बिजली उत्पादन के लिए मशीनों का आयात नहीं कर रहे हैं। यह तो अब अतीत की बात हो गई है। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड और अन्य कम्पनियां इन सभी मशीनों का निर्माण कर रही हैं।

डा० राय ने बिजली के संकट की बात भी उठाई थी। विद्युत संकट भी अब अतीत की बात हो गई है। दो वर्ष पहले की स्थिति की तुलना में अब देश के अनेक भागों में बिजली की स्थिति बहुत संतोषजनक है। कुछ ही भागों में कुछ कठिनाइयां हैं तथा महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में ये कठिनाइयां मौजूद हैं। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि बिजली के उत्पादन में मांग के अनुसार वृद्धि नहीं हुई है।

डा० राय ने राष्ट्रीय विद्युत नीति का भी उल्लेख किया था और कहा था कि यह नीति सरकार द्वारा बनाई जानी चाहिए, न कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा। हम ने समान विद्युत नीति के विकास संबंधी विषय में कोई संशोधन नहीं किया है। यह पिछले अधिनियम जैसा ही है। सरकार को राष्ट्रीय विद्युत नीति तैयार करने में रूचि है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में गैर-सरकारी सदस्यों की उपस्थिति के बारे में भी उल्लेख किया गया है। हमने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को राज्यों और केन्द्र की परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक मंजूरी देने संबंधी कार्य सौंपा है। इस कारण ही वित्त मंत्रालय, योजना आयोग तथा अन्य मंत्रालयों ने यह अनुभव किया कि यदि उन्होंने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे तो उन्हें इन परियोजनाओं की नए सिरे से परीक्षा करनी पड़ेगी। हम एक काम को दो बार नहीं करना चाहते। अत: हमने गैर सरकारी-प्रतिनिधित्व और गैर तकनीकी या गैर विशेषज्ञ प्रतिनिधित्व करने का उपबन्ध किया है।

डा० राय ने गैर-इंजीनियरों के होने का भी उल्लेख किया था। उन्हें वहां जान बूझ कर रखा गया है। वे वित्त, उद्योग और वाणिज्य मामलों में अनुभव प्राप्त व्यक्ति हैं। विद्युत अब बहुत अधिक पूंजीगत प्रधान हो गई है। ये बिजलीघर बहुत विस्तृत हैं, जिन में अत्यधिक पूंजी लगाई गई है। इनका प्रबंध श्रेष्ठ, अनुभवी और कुशल व्यक्तियों द्वारा किया जाना है। ये कौशल इंजीनियरिंग में ही नहीं अपितु यह लेखा शास्त्र और विभिन्न प्रकार की आधुनिक प्रबंध व्यवस्था में भी विद्यमान है। अत: केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में इन सभी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व किया गया है।

श्री नरसिम्हा रेड्डी ने दक्षिण में एक सुपर तापीय विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रश्न उठाया था। हम दक्षिण में केन्द्रीय क्षेत्र में एक सुपर तापीय विद्युत केन्द्र बनाना चाहते हैं। हमने दक्षिण भारत की दो परियोजना रिपोर्ट विश्व बैंक को भेजी है।

यह सुझाव दिया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाये जिससे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण चार राष्ट्रीय केन्द्रों की स्थापना करे जो देश के विभिन्न भागों की विद्युत की आवश्यकताओं का निर्धारण करें। यह पहले ही कर लिया गया है और वास्तव में हम दसवां लोड सरकट पूरा कर चुके हैं।

यह कहा गया है कि इस विधेयक से एजेंसियां बहुत बना दी गई हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यदि एक से अधिक राज्यों ने मिलकर एक विद्युत उत्पादन कम्पनी बना ली तो यह बहुत ही अधिक और वांछनीय रहेगा। लेकिन इसे एजेंसियों की विविधता नहीं कहा जा सकता।

श्री महाजन ने महाराष्ट्र के लिए गैस टरबाइन का उल्लेख किया था। गैस की उपलब्धता के बारे में निश्चित होना पड़ता है जब कि गस की उपलब्धता के बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।

उन्होंने महाराष्ट्र की परियोजनाओं का भी उल्लेख किया था। जहां तक महाराष्ट्र की परियोजनाओं को स्वीकृति देने का प्रश्न है हमने महाराष्ट्र में कई परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है।

जहां तक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों के निर्धारण का प्रश्न है, विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों का निर्धारण राज्यों द्वारा किया जाता है। केन्द्र इस सम्बन्ध में कोई दर निर्धारित नहीं कर सकता।

मैं समझता हूं कि मैंने माननीय सदस्यों की अधिकांश बातों का उत्तर दे दिया है। मैं माननीय सदस्यों को उनके रचनात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय प्रश्न यह है :

"कि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब खण्डवार विचार होगा। खण्ड 2 पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3

Clause 3

सभापति महोदय : खण्ड 3 पर डा० के० एल० राव के संशोधन संख्या 8,9,10,11 और 12 हैं ।

डा० के० एल० राव : मैं अपने संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं ।

श्री डी० के० पंडा : मैं अपना संशोधन संख्या 39 पेश करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 39 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 39 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4

Clause 4

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill

खण्ड 4क

Clause 4A

सभापति महोदय : यह एक नया खण्ड है ।

श्री पी० के० देव : मैं अपना संशोधन संख्या 15 पेश करता हूं । विद्युत के लिए देश भर में समान दर पर प्रशुल्क होना चाहिए, ताकि कृषि, उद्योग और ग्राम्य विद्युतीकरण को बढ़ावा मिल सके । इस सम्बन्ध में राज्यों को निदेश दिए जाने चाहिए ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक राज्यों के प्रशुल्क ढ़ांचे का सम्बन्ध है, हम उस में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते ।

श्री पी० के० देव : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की सभा की अनुमति है ?

माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन संख्या 15 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment No. 15 was by leave withdrawn

सभापति महोदय प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 और 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 6 and 7 were added to the Bill

खण्ड 8

Clause 8

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 3 पेश करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री: मैं अपना संशोधन संख्या 28 पेश करता हूं ।

श्री डी० के० पंडा: मैं अपने संशोधन संख्या 41 और 42 पेश करता हूं ।

श्री बी वी० नायक : मैं अपना संशोधन संख्या 36 पेश करता हूं ।

Shri M.C. Daga : My submission is that when you are talking about labour participation, are of the Directors of the company should be from the workers.

Shri Ramavatar Shastri: ((Patna) Among the full time members in the Board of Director of the generating company we must have a well experienced person who should have the capacity of organising would and defending and safeguarding their rights and previleges before the Generating company or corporation Persons who contest mix with the workers should not be included in the Board of Directors. This is the purpose of my amendment.

श्री बी० वी० नायक: मेरे संशोधन का आशय यह है कि इन उत्पादन कम्पनियों में स्थानीय लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये और उनमें अंशकालिक सदस्य होने चाहियें।

श्री डी० के० पण्डा: यह संशोधन क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने के बारे में है। क्षेत्रीय असन्तुलन एकाधिकार के विकास के कारण होता है। आशा है, माननीय मंत्री इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत: स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है। लेकिन यह फ़ैसला करना मुश्किल होगा कि कौन व्यक्ति स्थानीय है और कौन नहीं। अतः इस बात को कानून में शामिल करना ठीक नहीं होगा। जो भी व्यक्ति बोर्ड में होगा वह स्थानीय हितों का भी ध्यान रखेगा।

क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना हमारी राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये लेकिन इस बात को इस विधेयक में शामिल करने से कोई लाभ नहीं होगा।

सभापति महोदय: क्या श्री डागा अपने संशोधन के लिये आग्रह कर रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा: नहीं, मैं इसे वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन संख्या 3 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment No. 3 was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय: श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक।

श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक: मैं भी अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन संख्या 36 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment No. 36 was, by leave, withdrawn.

श्री डी० के० पण्डा: मैं संशोधन सख्या 41 के लिये जो नहीं दे रहा हूं।

संशोधन संख्या 41 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment No. 41 was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 28 और 42 सभा के मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 28 and 42 were put and negatived.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

स्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 9 and 10 were added to the Bill.

खण्ड 11

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी: मैं संशोधन संख्या 18 पेश करता हूं।

श्री रामवतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 29 पेश करता हूं।

श्री विभूति मिश्र : मैं संशोधन संख्या 38 पेश करता हूं।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : इस खण्ड में यह उपबन्ध होना चाहिये जिसके अनुसार राज्य विद्युत बोर्ड एक साधारण कर्त्तव्य के रूप में खपत टैरिफ़ के लिये लचीली तथा विभिन्नात्मक नीति अपनाये ताकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उठाई-सिंचाई के लिये तथा ग्रामीण कुटीर उद्योगों को समान लाभ तथा प्रोत्साहन मिल सके। इसमें बिजली की कोई दर नहीं दे रखी है। इसमें तो राज्य विद्युत बोर्ड को केवल लचीली नीति अपनाने का संकेत दिया हुआ है।

Shri Ramavatar Shastri : My amendment aims at adopting such a reasonable and differential consumption tariff so as to secure maximum benefits and incentives for lift irrigation in drought prone areas, for poor and merginal farmers, poor people and small scale industries in town and cottage industries in the villages. Electricity rates should be lower for poor people as compared to the rich people.

Shri Bibhuti Mishra: The electricity rates should be uniform for the entire country. Farmers in the rural areas and the industries should be provided with the electricity at cheaper rates.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: इस खण्ड में यह उपबन्ध किया जा रहा है कि विद्युत बोर्ड बिजली की सप्लाई अधिकाधिक क्षमतापूर्वक तथा लाभप्रद ढंग से करने की व्यवस्था करेंगे। ऐसा करते समय उन क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा जायेगा जिन्हें इस समय बिजली की सप्लाई बिल्कुल नहीं की जा रही या कम मात्रा में की जा रही है। यह न्यायोचित है और इसे केन्द्रीय अधिनियम में रखा जाना चाहिये किन्तु प्रत्येक राज्य में टैरिफ क्या हो, उपभोक्ताओं के किस वर्ग को सहायता करनी है तथा किसे नहीं, ये सारी बातें राज्यों पर छोड़ दी गई हैं। हम किसी केन्द्रीय कानून में इस तरह की बातें निर्धारित नहीं कर सकते। नहीं हम कुछ ऐसे सिद्धान्त निर्धारित कर सकते हैं जो कि प्रत्येक राज्य पर लागू हों क्योंकि भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न प्रणालियां हैं।

श्री विभूति मिश्र : मैं अपना संशोधन संख्या 38 वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 38 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment No. 38 was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय: मैं संशोधन संख्या 18 और 29 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 18 और 29 सभा के मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

The amendment Nos. 18 and 29 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 11 was added to the Bill.

खण्ड 12 से 16 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 12 to 16 were added to the Bill

खण्ड 17

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 30 पेश करता हूं ।

In the new section, 29 it should be provided that the details of every scheme should be published in the newspapers of Hindi, English and other State languages of the regions which have wide circulation. The Central Government should supply a list of all widely circulated news-papers to all their undertakings for the purpose of giving advertisements etc. to them.

सभापति महोदय: मैं संशोधन संख्या 30 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 30 सभा के मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 30 was put and negatived.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 17 was added to the Bill.

खण्ड 18

श्री डी० के० पण्डा: मैं संशोधन संख्या 44 से 46 पेश करता हूं ।

कुछ राज्यों को प्रकृति की देन है । उन प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाना चाहिये । उनका विकास इस ढंग से किया जाना चाहिये कि उनसे राष्ट्रीय विद्युत तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति में अधिकतम अंशदान मिल सके । बिजली का प्रजनन तथा उत्पादन इस ढंग से

किया जाना चाहिये कि यह क्षेत्रीय विकास के लिये एक उपकरण का काम दे। जब तक स्वयं विधेयक में इस तरह का दृष्टिकोण नहीं है तब तक विभिन्न निकाय मनमानी करेंगे। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश होना चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत: कहा गया है कि क्षेत्रीय विकास के लिये बिजली का उत्पादन किया जाना चाहिये। हमने बताया है कि बोर्ड उत्पादन कम्पनियों के साथ समन्वय करके पूरी क्षमता तथा अत्यधिक लाभप्रद ढ़ंग से बिजली की सप्लाई करने की व्यवस्था करेंगे और ऐसा करते समय वे उन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देंगे जिन्हें इस समय बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। इसमें समूचे क्षेत्र पर पूरी तरह से ध्यान देने की बात भी आ जाती है। हम बिजली आयोजना के मामले में धीरे-धीरे राज्य से क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। किन्तु हमें अभी भी यह देखना है कि राज्यों के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाये।

सभापति महोदय: मैं संशोधन संख्या 44 से 46 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 44 से 46 सभा के मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 44 to 46 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 18 was added to the Bill.

खण्ड 19

सभापति महोदय: मैं खण्ड 19 से 28 सभा के मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 19 से 28 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 19 से 28 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 19 to 28 were added to the Bill.

खण्ड 29

श्री रामावतार शास्त्री: मैं संशोधन संख्या 19 पेश करता हूं।

The expression 'Servants of the Board' occurring in this clause is not happy. In its place, the words 'employees of the Board' should be substituted.

We raise the slogan of socialism. The term 'Servant' is not in conformity with this slogan. It does not become us to use the term 'Servant' after so many years of independence.

सभापति महोदय: मैं संशोधन संख्या 19 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 19 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 19 was put and negatived.

अब मैं खण्ड 29 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 29 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 29 was added to the Bill.

खण्ड 30

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 30 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 30 was added to the Bill.

खण्ड 31

श्री रामावतार शास्त्री: मैं संशोधन 20 पेश करता हूं।

Six months' period is being allowed to the generating companies for preparing reports for the previous year. This period should be reduced to 3 months.

The period of six months is on the high side. It may be reduced to three months. They must submit their report within a period of three months.

Shri K. C. Pant: The companies are given a period of six months under the company law because they have to prepare profit and loss account, audit report and the annual report. Hence these companies should also be given a period of six months.

सभापति महोदय: मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 20 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 20 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 20 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 31 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 31 was added to the bill.

खण्ड 32 से 34 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 32 to 34 were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, Enacting Formula and Title were added to the Bill.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

लोक सभा (कालावधि विस्तारण) संशोधन विधेयक

HOUSE OF THE PEOPLE (EXTENSION OF DURATION) AMENDMENT BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि वर्तमान लोक सभा की कालावधि और बढ़ाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

गत वर्ष इसी तरह के विधेयक पर बोलते समय मैंने वे सभी कारण बताये थे कि उस समय लोक सभा की कालावधि को एक वर्ष के लिये बढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है । उस समय मैंने जो कारण बताये थे, उनमें से अधिकांश कारण आज भी वैध हैं ।

जहां तक 16 महीने पूर्व उद्घोषित आपात स्थिति के पश्चात् देश में आज की स्थिति का सम्बन्ध है, हमने यह देखा है कि कई क्षेत्रों में, विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में हमें निश्चित रूप से महान उपलब्धि हुई है और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रशासनिक ढांचे में भी अधिक अनुशासन पैदा हुआ है। इस दौरान हमने काफी विदेशी मुद्रा भी कमाई है। हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मुद्रास्फीति पर भी नियंत्रण पाया गया है और हमारी अर्थ-व्यवस्था में काफी हद तक स्थिरता आई है। जब हमने यह देख लिया है कि आपातस्थिति से कई क्षेत्रों में लाभ हुआ है तो यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि हम इस बारे में ढील न बरतें और इन मामलों में अधिकाधिक स्थिरता लाने का प्रयास करें। यह आवश्यक है कि आपात-स्थिति से जो वातावरण बना था और जिसके ये परिणाम निकले हैं, वह हमारे निकट भविष्य के लिये और अधिक सहायक हों।

किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि जिस स्थिति के कारण हमारे लिये गत वर्ष लोक सभा की कालावधि बढ़ानी आवश्यक हो गई थी, वह आज नहीं है। वास्तव में वे सभी तत्व आज भी मौजूद हैं जो अचानक लोकतंत्री संस्थाओं और लोकतांत्रिक कार्यकरण के विरुद्ध सक्रिय हो गये थे और जो इनके विरुद्ध हिंसा और अन्य गैर-लोक तंत्री तथा अनुचित तरीके अपना रहे थे और यह सोचना ठीक नहीं है कि वे आज सक्रिय नहीं हैं। उनमें से अधिकांश आज भी सक्रिय हैं। यह बात स्पष्ट है कि यदि इन तत्वों पर, जो इस ढंग से कार्यवाही कर रहे थे नियंत्रण नहीं पाया गया तो वे पुनः सक्रिय हो जायेंगे और ऐसा वातावरण पैदा कर देंगे जिससे कि वही पुरानी स्थिति सामने आ जायगी। इससे आपातस्थिति की उपलब्धियां बेकार हो जायेंगी।

हम जानते हैं कि विदेशों में कुछ भारतीय लोग किस तरह अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। जिस ढंग से कुछ तत्व काम कर रहे हैं वह इस बात का संकेत है कि हमें इस बारे में ढील नहीं बरतनी चाहिये। हम यह भी जानते है कि कुछ राजनीतिक दलों ने जो लोकतंत्र का राग अलापते रहे हैं तथा जो चुनाव कराने की बात करते हैं इन देश-विरोधी तत्वों की कार्यवाहियों की आलोचना नहीं की है। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इससे तो उन विध्वंसकारी तत्वों को एक प्रकार का समर्थन मिल रहा है।

यदि हम इन सब बातों पर ध्यान दें तो यह सोचना उचित नहीं है कि चुनाव हो या नहीं। चाहे हम जीतें या हारें। यदि यही उद्देश्य होता तो कांग्रेस दल के लिये चुनाव कराने के लिये यह उपयुक्त समय सिद्ध होता। लेकिन जब हमने इन मामलों पर विचार किया तो यह सत्ताधारी राजनीतिक दल के हित में नहीं बल्कि देश के हित में अधिक है। यदि राष्ट्र का हित इसी में है कि चुनाव कराने से स्थिति और गम्भीर हो जायेगी तो हमने यही वांछनीय समझा है कि हमें अपने तुरन्त लाभ की परवाह नहीं करनी चाहिये क्योंकि हम चुनाव में बहुमत से विजय प्राप्त कर सकते हैं।

हमें इन बातों को भी ध्यान में रखना है कि कुछ तत्वों ने देश में अव्यवस्था का वातावरण पैदा किया है जिसे ठीक समय पर प्रभावी कार्यवाही करके दबा दिया गया है। यदि यह कार्यवाही जारी नहीं रखी गई तो हम इन्हें रोक नहीं पायेंगे और स्थिति पहले की तरह बिगड़ जायेगी और आपात स्थिति से उत्पन्न सभी लाभ निरर्थक हो जायेंगे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकार जन आदेश प्राप्त करने वाले लोकतंत्री मार्ग पर चलने से

घबड़ा रही है। सरकार उचित समय पर ही चुनाव करायेगी। लेकिन अभी उचित समय नहीं आया है।

सभापति महोदय : क्या श्री झारखंडे राय अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री झारखंडे राय : जी हां, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 3 फरवरी, 1977 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।"(1)

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : विधि मंत्री के भाषण से यह सिद्ध होता है कि आपात-स्थिति की आड़ में क्रूर कार्यवाही करके सभी लोकतंत्री अधिकार समाप्त कर दिये गये हैं। मेरा कहना यह है कि वर्तमान परिस्थितियां बड़े एकाधिकारवादियों और बहु राष्ट्रिक निगमों के लिये बहुत अच्छी है क्योंकि मजदूरों को हानि पहुंचा कर उन्हें संरक्षण दिया गया है। एक कारखाने के बाद दूसरा कारखाना बन्द होता जा रहा है। पटसन मिलों के बन्द किये जाने से 80,000 श्रमिक फालतू घोषित किये गये हैं।

[श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए
Shri Bhagwat Jha Azad *in the Chair*]

औद्योगिक क्षेत्र में भी भारी संकट व्याप्त है। अभी कुछ ही दिन पहले राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में केन्द्रीय श्रम मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह बताया था कि अब अधिक तालाबन्दियां हो रही हैं, अधिक जबरन छुट्टियां की जा रही हैं और श्रमिक वर्ग का अधिक शोषण किया जा रहा है। आज परिस्थिति ऐसी हो गई हैं जिसे कि पूंजीवादी और एकाधिकारवादी चाहते हैं। किसानों ने अधिक उत्पादन किया हैं परन्तु उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा हैं। इसी सदन में यह बताया गया था कि जिन उत्पादकों ने अधिक उत्पादन किया है उन्हें अपने उत्पादन की लागत के 50 प्रतिशत से कम मूल्य मिल रहा है। आपात स्थिति के कारण उत्पादकों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। आपात स्थिति की उपलब्धियों का लाभ बिचौलियों, जमाखोरों, भूमिपतियों और पूंजीपतियों को ही मिला है क्योंकि इन्हें सरकार की नीतियों का संरक्षण प्राप्त है। सरकार ने निहित स्वार्थों की रक्षा के लिये यह वर्गगत नीति अपनाई है। इसीलिये सरकार आपात स्थिति को स्थायी बनाना चाहती है। क्या इसका कोई आर्थिक पहलू है? किसानों की क्रय शक्ति कम होती जा रही है। यदि कपड़ा मिलों का उत्पादन बढ़ता और यदि उपभोक्ताओं या क्रेताओं की क्रय शक्ति कम हो जाती है तो इससे आन्तरिक बाजार और उत्पादन की शक्तियों में विवाद पैदा हो जायेगा। ऐसा हो भी रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि देश की आन्तरिक क्रय शक्ति और आन्तरिक बाजार क्षमता घटती जा रही है। निर्यात बढ़ाने के लिये एकाधिकारी गृहों को बड़ी-बड़ी छूट दी जा रही है और पुराने प्रतिबन्धों में ढील दी जा रही है। अतः आपात स्थिति से उत्पन्न परिस्थितियां उनके पूर्णतः अनुकूल हैं। यदि संसदीय लोकतंत्र कायम रखना है तो कम से कम मौलिक अधिकार तो होने ही चाहियें। लेकिन मजदूरों के मौलिक अधिकार समाप्त कर दिये गये हैं। भारतीय जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ है। कांग्रेसी सरकार वर्गगत धारणा को कायम रखना चाहती है। बड़ी अजीब बात है कि जहां एक ओर बड़े-बड़े एकाधिकारी गृहों को रियायत पर रियात दी जा रही है वहां

दूसरी ओर सरकार संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद का शब्द जोड़ रही है जैसे कि भारतीय समाजवाद इनको रियायतें देकर और श्रमजीवी वर्ग तथा लोकतंत्री आन्दोलन को दबाकर लाया जा सकता है। उनका सौभाग्य है कि लोग वास्तविकता के प्रति जागृत नहीं है परन्तु वास्तविकता तो नजर आयेगी ही। इसी कारण चुनावों की व्यवस्था की गई हैं। परन्तु आप चुनाव नहीं चाहते हैं। आपका कहना है कि वातावरण अनुकूल नहीं है। यदि चुनाव होते हैं तो लोगों को इस दमन के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। आप ऐसा नहीं चाहते हैं। यह सर्वविदित है कि चूंकि बड़े व्यापारी लोग चुनाव कराने के पक्ष में नहीं हैं इसलिये इस बार चुनाव नहीं होंगे। लेकिन सरकार लोगों को यह बताना चाहती है कि चुनाव होंगे। अभी 23 अगस्त को ही विधि राज्य मंत्री ने कहा है कि चुनाव ठीक समय पर ही होंगे। सरकार ने लोगों का विश्वास खो दिया है। हम संसदीय लोक तंत्र चाहते हैं।

निर्यात मण्डी में भारी स्पर्धा होने के कारण अर्थ-व्यवस्था की स्थिति बहुत गम्भीर होती जा रही है। निर्यात बाजार में भारी स्पर्धा है। पटसन के मामले में बंगलादेश पश्चिम बंगाल से प्रतियोगिता कर रहा है। यदि चीन पटसन उत्पादन में सफल हो जाता है तो हमारा पटसन उद्योग पूर्णत: ठप्प हो जायेगा।

निदेशक सिद्धांतों में यह व्यवस्था है कि अमीर और गरीब के बीच अन्तर कम किया जायेगा; लेकिन व्यावहारिक रूप में सरकार बड़े एकाधिकारवादियों को भारी रियायतें दे रही है और मजदूरों को बेरोजगार कर रही है। क्या असमानता दूर करने का यही ढंग है?

सभी पूंजीवादी देशों में यही हो रहा है। मुनाफे के लिए उत्पादन करना ही इसका ध्येय है। संसदीय लोकतंत्र का आधार ही पूंजीवाद है। क्या विश्व में कहीं संसदीय लोकतंत्र में समाजवाद है?

पहले लोगों को उन्मुक्त भाव से अपना मतदान करने दिया जाता था क्योंकि सरकार जनता पर अपना प्रभाव सुगमता से डाल सकती थी। लेकिन अब उसका यह आधार ही समाप्त हो गया है। अब सरकार गम्भीर संकट में आ गई है और अपने सारे संकट का भार श्रमिकों, अपने कर्मचारियों, किसानों और गरीब जनता पर डालना चाहती है। इसी कारण पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध असन्तोष पैदा होना स्वाभाविक है। यह प्रक्रिया चल रही है। अब आपने आपात स्थिति को स्थायी बनाकर संसदीय लोकतंत्र को दबा दिया है।

कल विधि मंत्री ने कहा था कि मार्क्सवाद में विश्वास रखने वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को लोकतंत्र के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखती। हम मार्क्सवाद और लेनिनवाद में विश्वास रखते हैं। आपको मालूम है कि सबसे पूर्व रूस में लेनिन के नेतृत्व में समाजवाद लाया गया था।

लोकतंत्र या संसदीय लोकतंत्र के बारे में मैं लेनिन के विचारों से एक उद्धरण पेश करता हूं।

लेनिन ने कहा था कि "बुर्जुआ लोकतंत्र के अन्तर्गत पूंजीपति हजारों तरह की ऐसी चालें चलते हैं जिन से एक ऐसे लोकतंत्र का विकास होता है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, लोगों की एकत्रित होने की स्वतंत्रता आदि समाप्त हो जाती है।" उन्होंने आगे कहा कि सर्वहारा लोकतंत्र बुर्जुआ लोकतंत्र की तुलना में लाखों गुना अधिक लोकतांत्रिक है। और मार्क्सवादियों का लोकतंत्र

के बारे में इसी तरह का दृष्टिकोण है । चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम तथा क्यूबा जैसे समाजवादी देशों में बिल्कुल दूसरे ही ढंग का लोकतंत्र है ।

समाजवादी देश में समाजवादी लोकतंत्र होता है । इसलिए समाजवादी लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है । वहां न तो पूंजीपति होते हैं और न ही जमींदार जो कि गरीबों का शोषण करें । वहां मुनाफाखोरी वाली कोई बात नहीं होती । यदि आपने समाजवाद को अपना लक्ष्य निर्धारित किया है तो फिर आपको समाजवादी देशों से सबक सीखना चाहिए। देश में संसदीय लोकतंत्र अभी भी विद्यमान है किन्तु दम तोड़ता हुआ सा नजर आ रहा है । हमें लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करनी है । आपात-स्थिति तत्काल समाप्त की जानी चाहिए। सभी नजरबन्द नेताओं को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए ।

मैं चाहता हूं कि यह विधेयक वापस लिया जाये और निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों के लिए तैयारी की जाये इससे पहले आपात स्थिति समाप्त की जानी चाहिए क्योंकि लोगों को अपनी इच्छा व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए । लोकतंत्र का असली अर्थ यही होता है । लोगों को अपनी इच्छा जाहिर करने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए कि उन्हें किस तरह की सरकार चाहिए, किस तरह का प्रशासन चाहिए और वे किस तरह का समाज स्थापित करना चाहते हैं।

समाजवादी देशों में जनता को चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार प्राप्त है। वापस बुलाने के अधिकार का यह अर्थ है कि जनता ही प्रभुत्ता सम्पन्न है । जनता ही इस बात का निर्णय करे कि सभा में कोई सदस्य रहे या नहीं । अत : इस बात पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। सरकार इस समय जिस नीति का अनुसरण कर रही है, उसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए । समाचार पत्रों पर से सेंसरशिप भी समाप्त की जानी चाहिए । निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव कराने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि लोग निर्भीकता से अपने विचार व्यक्त कर सकें ।

यदि आप चुनावों से नहीं डरते तो फिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ? इससे यही पता चलता है कि आप जनता के समक्ष जाने से डर रहे हैं ।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तुपुजा) : मार्क्सवादी साम्यवादी दल के नेता ने घोषणा की है कि हमारा लोकतंत्र बुर्जुआ लोकतंत्र है और उनके मतानुसार यह दमन चक्र का एक माध्यम है तथा इसे सर्वहारा लोकतंत्र में परिवर्तित किया जाना चाहिए । इसीलिए वे यह चाहते हैं कि चुनाव तत्काल करायें जाने चाहियें ।

आज देश में अजीब सी स्थिति विद्यमान है। राजनीतिक दल दो भागों में विभाजित हैं। कुछ दल आपात-स्थिति का विरोध कर रहे हैं। उनमें से जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक तथा आनन्द मार्गी मुख्य हैं। मार्क्सवादी साम्यवादी दल भी उनके साथ सांठ-गांठ कर रहे हैं।

उनका विचार है कि चुनाव द्वारा उन्हें जनता का आदेश प्राप्त हो जायेगा । किन्तु क्या उन्होंने जनादेश स्वीकार किया है । 1971 के चुनावों के दौरान हम जनता के समक्ष गए

और हमने जनादेश प्राप्त किया। किन्तु क्या उन्होंने इस आदेश को स्वीकार किया जो कि हमें जनता से प्राप्त हुआ था। उन्होंने इस जनादेश को संसद् में स्वीकार करने से इंकार कर दिया। उन्होंने गुजरात तथा बिहार में भी इसका विरोध किया। यही बात उन्होंने केरल में की है। वहां उन्होंने अभद्र स्थिति पैदा कर दी है।

इतना ही नहीं। आपने साम्यवादी या समाजवादी लोगों की बजाय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक तथा आनन्द मार्गियों से मैत्री का हाथ बढ़ाया। क्या आप चाहते हैं कि हम इसी तरह का समाजवाद स्वीकार करें। आप एकाधिकार पूंजीवाद पर आपत्ति भी कर रहे हैं और उन्हीं के साथ दोस्ती भी बढा रहे हैं। क्या बुजुआ लोकतंत्र से संघर्ष करने तथा समाजवाद लाने का उनका यह तरीका उचित है?

देश में आपात-स्थिति किन कारणों से बाध्य होकर लगानी पड़ी है? अब इस पर विचार करें। इसके दो पहलू हैं। पहला निश्चात्मक तथा दूसरा निषेधात्मक। देश के लोकतंत्र तथा समाज विरोधी तत्त्वों के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा निषेधात्मक पहलू है। मार्क्सवादी साम्यवादी दल हमेशा ही प्रतिक्रियावादी शक्तियों की सहायता करता रहा है। कौन नहीं जानता कि आपात स्थिति से पूर्व देश में क्या स्थिति थी। चारों ओर पतन का वातावरण तैयार हो गया था और देश को नष्ट करने के उनके प्रयास सफल हो रहे थे। इसीलिए आपात स्थिति की घोषणा करनी पड़ी। और आज हम देखते हैं कि आपात स्थिति लागू करने का हमारा उद्देश्य सफल रहा है। आप कहते हैं कि जेलों में राजनीतिज्ञ ही भरे हुए हैं। किन्तु क्या आपने देखा है कि जेलों में कितने काला बाजारी करने वाले, मुनाफाखोर तथा अन्य भ्रष्ट लोग भरे हुए हैं।

अब यह स्पष्ट हैं कि आपात स्थिति से पूर्व क्या स्थिति थी और अब क्या है। क्या अब स्थिति में सुधार नहीं हुआ है?

निश्चयात्मक पहलू क्या है? इस पहलू का उद्देश्य अर्थ व्यवस्था को सुदृढ करना तथा देश में अनुशासन लाना है। देश में आत्मनिर्भरता लानी है ताकि देश अनवरत रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे। कोई भी इन वास्तविकताओं से इंकार नहीं कर सकता।

आपात स्थिति का एक वर्ष बीत चुका है और दूसरा वर्ष आरम्भ हो गया है। क्या हम पुनः उस पुरानी स्थिति को उत्पन्न करें तथा उन देश-विरोधी शक्तियों को पनपने दें ताकि वे फिर से लोकतांत्रिक ढांचे को खोखला करने लगे। ये लोकतांत्रिक विरोधी शक्तियां अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। वे अभी भी सक्रियता से अपनी गतिविधियां चला रही हैं। उनकी विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मूल्यों के मामले से यह बिल्कुल स्पष्ट है। अभी हाल ही में समूचे देश में पुनः मूल्यवृद्धि हुई है। उनमें गिरावट लाने का प्रयास किया गया है। सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाये जिसके परिणामस्वरूप मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण लाया गया। इससे यह स्पष्ट है कि मूल्य जानबूझ कर बढ़ाए गए हैं और राष्ट्र-विरोधी तत्व अभी भी सक्रियता से कार्यवाही कर रहे हैं। इन शक्तियों ने अभी भी अपनी आदतों में सुधार नहीं किया है और उन्होंने अपने आपको देश के लोकतांत्रिक ढांचे के अनुरूप नहीं ढाला। जब तक वे अपनी आदतों में सुधार नहीं कर लेते तब तक सरकार को सतर्क रहना चाहिए।

प्रश्न यह नहीं है कि आपात स्थिति जारी रखी जाये अथवा नहीं। असली प्रश्न तो यह है कि जिन शक्तियों के कारण आपात-स्थिति लागू करनी आवश्यक हो गई थी क्या उन शक्तियों

पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है? देश के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करने वाले लोगों को सबक सिखाने के सिवाय और कोई चारा नहीं रह गया था। उनको सुधारा जाना है और साथ ही अच्छे रास्ते पर चलने के लिए बाध्य किया जाना है। देश में लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए इन अनिष्ठकारी शक्तियों का दमन करना आवश्यक है। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व को बहुमत से स्वीकार करने में किसी को भी शंका नहीं होनी चाहिए। यदि प्रश्न केवल चुनाव कराने का होता तो कांग्रेस दल के लिए चुनाव कराने का यह सबसे उपयुक्त अवसर था किन्तु देश का विकास तथा हित सर्वोपरि है।

प्रश्न यह उठता है कि विपक्ष चुनाव क्यों कराना चाहता है? क्या उन्हें सत्ता में आने और कांग्रेस दल को सत्ता से हटाने की आशा है? चुनाव कराने की बात करना कांग्रेस को सत्ता से हटाना नहीं अपितु केवल छलमात्र है जिससे कि देश-विरोधी तत्व आपात-स्थिति से पूर्व की स्थिति पैदा कर सकें और देश में अराजकता का वातावरण ला सकें।

आपात-स्थिति का उद्देश्य यह है कि प्राप्त हुई उपलब्धियों का समेकन किया जाये। लोकतंत्र विरोधी शक्तियों को निरस्त्र करना, अनुशासन लाना, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना उत्पन्न करना, आत्मानुशासन पैदा करना, आदि ऐसे उद्देश्य हैं जिन्हें हमें आपात स्थिति के दौरान प्राप्त करना है। आपात स्थिति के इन 19 महीनों में राष्ट्र ने इतनी प्रगति की है जितनी इससे पूर्व कभी नहीं हुई थी। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही नष्ट कर दी जाये। यदि लोकतांत्रिक ढांचा समाप्त हो गया तो राष्ट्र का आधार ही समाप्त हो जायेगा। गैर-लोकतांत्रिक, राष्ट्र-विरोधी और नवफासिस्टवादी शक्तियों से संघर्ष करने के लिए कालावधि का विस्तारण करना अनिवार्य है। लोकतंत्र के शत्रुओं से लोकतंत्र की रक्षा करने का ही यह एक प्रयास है। राष्ट्र के प्रति सेवाभाव तथा लोकतंत्र विरोधी इन अनिष्ठकारी शक्तियों से लोकतांत्रिक ढांचे की सुरक्षा की भावना से ही मेरा यह सुझाव है कि चुनाव स्थगित कर दिए जाने चाहिएं, जिससे कि आपात-स्थिति से लाभ उठाया जा सके। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 5 नवम्बर, 1976/14 कार्तिक, 1898 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Friday, November 5, 1976/Kartika 14, 1898 (Saka).

म० प्र० भा० स० मु० न० दि०—आर० एस० II 2173—एल० एस०—14-12-76—200